छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर - 492007

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE(TRADING & DEV.) CO-OP. FED. LTD.

छ.ग.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या.

उन्नीसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 27 जुलाई 2018

समय : प्रातः 11.30 बजे

स्थान : न्यू सर्किट हाऊस, सिविल लाईन्स, रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007
दूरभाषः (0771) 4065100-4065110 फैक्सः 2283594
E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह/वार्षिक आम सभा/2018/9636 रायपुर दिनांक 11/07/2018

प्रति

1. **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)
2. **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)
3. **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)
4. **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़ेगलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)
5. **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)
6. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
   पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग)
7. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)
8. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
   पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)
9. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
   पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)
10. **श्री राम सुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)
11. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)
12. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
    पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

13. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)

14. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)

15. **श्री राज कुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

16. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)

17. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)

18. **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)

19. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

20. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

21. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

22. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

23. **श्री मोतीराम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

24. **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

25. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

26. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

27. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)

28. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

29. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

30. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

31. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)

32. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016

33. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016

34. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

35. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

36. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

37. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

38. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

39. **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

40. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

41. **श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव**, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की उन्नीसवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.07.2018 (शुक्रवार) की सूचना।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की उन्नीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.07.2018 दिन शुक्रवार को समय प्रातः 11.30 बजे स्थान न्यू सर्किट हाऊस, सिविल लाईन्स रायपुर, के प्रथम तल पर स्थित कान्फ्रेन्स हाल में आयोजित किया जावेगा। वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित विषय सूची पर विचार करने हेतु आहूत हैः-

कार्य सूची

विषय क्रमांक 1	अट्ठारहवी वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट की स्वीकृति।
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।
विषय क्रमांक 6	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।
विषय क्रमांक 7	वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा अर्जित आय का विभिन्न मदों में विभाजन।
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

नोटः- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात् प्रातः 12.00 बजे से पुनः उसी स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
वार्षिक साधारण सभा का विस्तृत एजेण्डा (पुस्तिका) पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय-सूची

अनु.क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	अट्ठारहवी वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	1-8
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	9-35
3	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	36-38
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट की स्वीकृति।	39-44
5	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	45-60
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	61
7	वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा अर्जित आय का विभिन्न मदों में विभाजन।	62
	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की उन्नीसवीं आम सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय संचालक मण्डल के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय ढ़ॉचे में लघु वनोपज संघ कार्यरत 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 13 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते है, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्ही गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

इस वर्ष तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रुपये 1800/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रुपये 2500/- प्रति मानक बोरा की गयी। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 951 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 784 लाटों की 13.921 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रूपये 792.94 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रूपये 5696/- प्रति मानक बोरा है। वर्ष 2018 सीजन में विक्रित लाटों में 12.727 लाख मानक बोरा तथा अविक्रित लाटों में 2.117 लाख मानक बोरा कुल 14.844 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्तों का संग्रहण हुआ, जो अधिसूचित मात्रा का 88.80 प्रतिशत है।

शेष अविक्रित 167 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.796 लाख मानक बोरा के विरुद्ध 2.117 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण हुआ तथा संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। संग्राहकों को लगभग रूपये 371.10 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्ष 2016 में संग्रहित तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्त आय में से शासन निर्णय अनुसार 80 प्रतिशत राशि जो रूपये 275.30 करोड़ होती है, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में जनवरी से मार्च 2018 में संग्राहकों को वितरित की गई है। वर्ष 2017 तेन्दू पत्ता सीजन के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की तैयारी हेतु जिला यूनियनों को निर्देश दिया गया है।

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01.03.2018 से तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गयी है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये है, यह योजना 55 वर्ष की आयु तक के हितग्राही के लिये योजना लागू रहेगी। इस योजनांतर्गत संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। इस योजना अंतर्गत प्रीमियम की राशि का 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र शासन द्वारा, 37.5 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत संघ द्वारा भुगतान किया जाता है।

51 से 59 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये पूर्व की प्रचलित आम आदमी बीमा योजना लागू रहेगी। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया (51 से 59 वर्ष आयु) के लिए प्रचलित आम आदमी बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु / विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, 37.5 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 4872 हितग्राहियों को रूपये 16.09 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार समूह बीमा योजना दिनांक 28.02.2018 को समाप्त कर दिया गया है। समूह बीमा योजना संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये लागू था। इस योजनांतर्गत हितग्राही की मृत्यु होने पर रू. 3,500/- प्राप्त होता था। इस योजना के बंद होने पर अटल समूह बीमा योजना जिसमें बीमा राशि रू. 6,500/- था, उसे दिनांक 01.03.2018 से रू. 10,000/- कर दिया गया है, इस प्रकार संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये कुल बीमा राशि को यथावत रखा गया है। अटल समूह बीमा योजना की प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि का भुगतान संघ के द्वारा वहन किया जावेगा।

इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वी तथा आई.टी.आई में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 1200/- वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में छात्र वृत्ति हेतु कुल 50,423 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रूपये 6.05 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में छात्र वृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल. आई.सी.आई.डी प्राप्त कर छात्र वृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्र वृत्ति वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु संघ द्वारा विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्र वृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें लागू है।

मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5418 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.62 करोड़, व्यवसायिक कोर्स हेतु 228 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.25 करोड, गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत कुल 889 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.50 करोड, प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं में 913 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 1.57 करोड़ एवं कक्षा 12वीं में कुल 668 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 1.60 करोड़ प्रदाय किया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में संघ द्वारा विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं में कुल 8116 छात्र-छात्राओं को रू. 4.54 करोड प्रदाय किया गया।

दिनांक 01.11.2017 से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय प्रतिमाह रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 12,500/- प्रतिमाह किया गया है।

तत्पश्चात प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 12,500/- से बढ़ाकर रूपये 15,000/- करने का प्रस्ताव शासन स्वीकृति हेतु भेजा गया है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक के बीमा राशि में दिनांक 19.05.2017 से राशि रूपये 25,000/- से वृद्धि की जाकर रूपये 1.00 लाख किया गया है।

राज्य शासन की लाख विकास योजना तहत् 28 जिला यूनियनों में संचालित कुल 83 कुसुमी एवं रंगीनी लाख पालन परियोजना में स्वीकृत राशि रू. 12.07 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 10.75 करोड़ जिला यूनियनों में प्रदाय की गयी है। संघ की तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि के तहत् 13 जिला यूनियनों में संचालित कुल 70 कुसुमी एवं रंगीनी लाख पालन परियोजना में स्वीकृत राशि रू. 9.12 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 3.99 करोड़ जिला यूनियनों में प्रदाय की गयी है।

वर्ष 2014 से विभिन्न वनोपजों के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गयी है। योजना में साल बीज, हर्रा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसमी लाख तथा रंगीनी लाख का क्रय किया जा रहा है। संग्राहकों को उनके द्वारा लाई गई वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में वर्ष 2017-18 में कुल रू. 12.90 करोड़ विभिन्न लघु वनोपज का क्रय कर संग्राहकों को भुगतान किया गया है। इस योजना के लागू होने से संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अतिरिक्त तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभ की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से अन्य लघु वनोपज जैसे - बेल, आंवला, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा व अन्य लघु वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय किया गया है।

संघ द्वारा लघु वनोपज मुख्यतः इमली, आंवला, बेल, जामुन, तिखुर, शहद, चिरौंजी, काजू व अन्य औषधीय प्रजातियों के मूल्य वृद्धि एवं विपणन की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये गये है। विगत वर्ष संजीवनी एवं NWFP मार्ट के माध्यम से रू. 1 करोड़ 26 लाख की लघु वनोपज के उत्पादों का विक्रय किया गया। इन्हें स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके सदस्य मुख्यतः संग्राहक होते हैं।

सम्पूर्ण वर्ष में किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये एक ट्रेनिंग कलैण्डर तैयार किया गया है। तैयार कलैण्डर के अनसार वन वृत्तवार प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें लगभग 2000 स्व-सहायता समूह / वन प्रबंधन समिति के सदस्य तथा प्रबंधकों द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक 21.03.2018 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में लगभग 1500 प्रतिभागी उपस्थित हुये, जिसमें जिला यूनियन / प्राथमिक लघु वनोपज समिति के निर्वाचित सदस्य, स्व-सहायता समूह, वैद्य सम्मिलित है। कार्यशाला का विषय ''सतत् जीविकोपार्जन का आधार - लघु वनोपज का व्यापार'' था। उक्त कार्यशाला में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से संबंधित ब्रोशर, पोस्टर का लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से किया गया।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगें।

धन्यवाद।

(भरत साय)

विषय क्रमांक - 1

विषयः- **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की अट्ठारहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2017 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की अट्ठारहवीं वार्षिक आम सभा श्री भरत साय अध्यक्ष, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की अध्यक्षता में **18वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2017 दिन बुधवार को समय दोपहर 2.30 बजे से न्यू सर्किट हाऊस, रायपुर के सभा कक्ष में प्रारंभ की गई।**

बैठक के प्रारंभ में अपर प्रबंध संचालक संघ द्वारा जिला यूनियन के संघ प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबंध संचालक द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहेः-

1. **श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग)

2. **श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

3. **कु. समीरा पैकरा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)

4. **श्रीमती सुशीला बाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)

5. **श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)

6. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर
पता - ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग)

7. **श्री बसंत सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

8. **श्री प्रीतम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)

9. **श्री अखिलेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)

10. **श्री हीरा सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)

11. **श्री मनोहर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)

12. **श्री सुन्दर सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)

13. **श्रीमती बदन बाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)

14. **श्री राज कुमार बिंझवार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)

15. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)

16. **श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)

17 **श्री अमर सिंह नेताम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)

18. **श्री सोमनाथ सोम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)

19. **श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)

20. **श्री पंच राम धुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)

21. **श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

22 **श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)

23. **श्री भगत राम मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

24. **श्री मड़कम हड़मा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग)

25. **श्री फागूराम तेलामी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)

26. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

27. **श्री पी.एस सर्पराज उप सचिव, प्रतिनधि सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

28. **श्री के.सी. किस्कु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

अठारहवीं वार्षिक साधारण आम सभा की बैठक में श्री डॉ बी.पी नोन्हारे अपर प्रबंध संचालक, श्री कौशलेन्द्र कुमार कार्यकारी संचालक (व्या / विकास) श्री व्ही.एस लकड़ा महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहेः-

1. **श्री राम सुन्दर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)

2. **श्री दिनेश शाह मंडावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)

3. **श्री पतिराम मण्डावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग)

4. **श्री विश्राम सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)

5. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)

6. **श्री पारेट कन्हैया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता - ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग)

7. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

8. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016

9. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

10. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

11. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

12. **श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव,** छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

13. **विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा वार्षिक आम सभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्यगण एवं प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के संघ प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया गया, तदुपरान्त आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प	की गई कार्यवाही
1	सत्रहवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 27.09.2016 की कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	अठारहवी वार्षिक आम सभा द्वारा सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2016 के कार्य वृत्त की पुष्टि की गयी तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यों- तेंदू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेंदू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संघ द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर सहमति व्यक्त की गयी। सभा द्वारा तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू करने के लिये केन्द्र शासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा इसकी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के लिये प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया।	कार्यवाही की जा चुकी है।
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेंदू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेंदू	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण आम सभा मं प्रस्तुत किया गया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	ट्राईफेड तथा संजीवनी के उत्पादों को एक-दूसरे के आउटलेट से विक्रय करने हेतु अनुबंध किया गया, जिसकी जानकारी प्रमुख सचिव वन, छत्तीसगढ़

	पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	ट्राईफेड जो भारत सरकार का उपक्रम है उसके द्वारा संघ के स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित संजीवनी हर्बल अंतर्गत शहद, काजू एवं चिरौजी 20 प्रतिशत रियायती दर पर प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि इससे प्रसंस्कृत सामग्री के विपणन में बढ़ोतरी होगी अतः इस कार्य को तदानुसार संपादित करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	शासन को पत्र क्रमांक 11555 दिनांक 26.10.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है।
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट की स्वीकृति।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट की स्वीकृति का विवरण आम सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। वर्ष 2016-17 में ई.पी.एफ अंशदान मद में स्वीकृत बजट रूपये 50.00 लाख के विरूद्ध रूपये 58.63 लाख व्यय हुआ जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2017-18 में अंकेक्षण शुल्क मद में स्वीकृति बजट रूपये 25.00 लाख है जिसे बढ़ाकर रूपये 83.00 लाख की बजट स्वीकृति दी गई। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव वर्ष 2017-18 के लिये यात्रा भत्ता मद में रूपये 45.00 लाख की स्वीकृति दी गई तथा बोनस हेतु वर्ष 2017-18 के लिये रूपये 7.00 लाख की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के नवीन मद सम्मेलन व्यय रखे जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था उक्त सम्मेलन व्यय को प्रशिक्षण के अंतर्गत उप मद रखे जाने हेतु निर्धारित किया गया तथा सम्मेलन व्यय के अंतर्गत रूपये 200.00 लाख का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया गया। उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार मद का निर्धारण किया गया तथा इसके अंतर्गत रूपये 18.00 लाख का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया गया।	कार्यवाही की जा चुकी है।

5	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन हेतु विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
6	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्येां द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक/278 दिनांक 16.10. 2017 से वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
7	वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरान्त शुद्ध लाभ का विभाजन।	वार्षिक आम सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरान्त शुद्ध लाभ का विभाजन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	वित्तीय वर्ष 2009-10 से रू. 3,00,98,324.00 तथा 2010-11 की राशि रू. 3,07,52,925.00, 2011-12 की राशि रू. 3,81,55,028.00, 2012-13 की राशि रू. 4,56,82,805.00, वर्ष 2013-14 की राशि रू. 5,36,65,139.00 वर्ष 2014-15 की राशि रू. 4,52,47,244.85 एवं 2015-16 की राशि रू. 6,02,40,190.15 का विभिन्न मदों में विभाजन की कार्यवाही की गई।

चर्चा में अन्य सुझाव निम्नानुसार दिया गयाः-

1	एल.आई.सी को बीमा प्रकरण स्वीकृति के लिये अभिप्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र को मान्य करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावे।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/ संघ/बीमा/2017 /11996 दिनांक 03.11.2017 से समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित को बीमा प्रकरण स्वीकृति के लिए अभिप्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु लेख करते हुए प्रतिलिपि एल.आई.सी कार्यालय को दी गई है।
2	वर्ष 2018 में तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रूपये 2000/- प्रति मानक बोरा निर्धारण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जावे।	इस संबंध में वर्ष 2018 तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रूपये 2500/- प्रति मानक बोरा शासकीय भूमि से तथा रूपये 2600/- प्रति मानक बोरा निजी भूमि से संग्रहण / क्रय किये जाने बाबत शासन के पत्र क्रमांक एफ 13-01/2016/10-2 दिनांक 25.10.2017 से निर्धारित किया गया है।
3	वर्ष 2017 में एम.एस.पी विशेषकर साल बीज के व्यापार में संघ को लगभग रूपये 4.50 करोड़ का आय हुआ इसके लिये संघ को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
4	वर्ष 2017 में कई समितियों में अधिसूचित मात्रा से बहुत अधिक तेन्दू पत्ता का संग्रहण हुआ है अतः वर्ष 2018 हेतु समितियों में तेन्दू पत्ता के अधिसूचित मात्रा का पुनर्निर्धारण किया जावे।	वर्ष 2018 हेतु समितियों में तेन्दू पत्ता के अधिसूचित मात्रा का पुनर्निर्धारण किया गया।
5	तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2016 का प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण की कार्यवाही शीघ्र करने के लिये शासन से अनुमति ली जावे।	कार्यवाही की जा चुकी है।
6	मूलभूत सुविधा विकास कार्य में बचत राशि का प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रस्ताव के अनुसार कार्य स्वीकृत कर शीघ्र कार्य कराया जावे।	जिला यूनियन के प्रस्ताव के अनुसार योजना में बचत राशि से विभिन्न कार्य स्वीकृत किया गया।
7	तेन्दू पत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण का कार्य विगत वर्ष नहीं हो पाया है। अतः और विलंब न करते हुये इसकी कार्यवाही शीघ्र की जावें।	महिला संग्राहकों को चरण पादुका वितरण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पुरूष संग्राहकों के लिये चरण पादुका के क्रय करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
8	केन्द्र शासन द्वारा लागू किये गये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पूर्ण विवरण अगले संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जावे।	संचालक मण्डल की 73वीं बैठक में प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन किया जा चुका है।

9	फड़मुंशियों का सायकिल भत्ता में वृद्धि की जावे।	फड़ मुंशियों का सायकल भत्ता में वृद्धि किए जाने के संबंध में शासन के पत्र क्रमांक 3778/2843/ 2016/10-2 दिनांक 25.10. 2017 द्वारा रूपये 200/- प्रति माह वर्ष में 08 माह के लिए प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री के घोषणा अनुसार समस्त फड़मुंशियों 10279 को सायकल वितरण भी किया गया।
10	संघ प्रतिनिधियों को अध्ययन प्रवास पर जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावे।	दिनांक 03.10.2017 से 07.10.2017 तक संघ के संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों हेतु अध्ययन प्रवास का आयोजन FRLHT बैंगलोर संस्था से सहयोग से उत्तराखंड राज्य में कराया जा चुका है। कार्यवाही पूर्ण।
11	जिला यूनियन के संचालकों के भत्तों पर पुनर्विचार किया जावे।	जिला यूनियन के संचालकां के यात्रा भत्ता में वृद्धि पर होने वाले व्यय भार का परीक्षण कर पंजीयक को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की गयी है।

विषय क्रमांक - 2

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन सरंक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में दिनांक 01.06.2018 की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **परिशिष्ट 'क'** पर दर्शाया गया है।

(ii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजना

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01.03.2018 से तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लागू की गयी है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये है, यह 55 वर्ष की आयु तक के लिये योजना लागू रहेगी। इस योजनांतर्गत संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि का 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र शासन के द्वारा, 37.5 प्रतिशत राज्य शासन के द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत संघ के द्वारा भुगतान किया जाता है। योजना को लागू करने के लिये राज्य शासन के द्वारा देय राशि लगभग **15.65 करोड़** होगी, जिसमें से रू. 5.80 करोड़ राज्य शासन से आबंटन हो चुका है, शेष राशि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

51 से 59 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये पूर्व की प्रचलित आम आदमी बीमा योजना लागू रहेगी। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया (51 से 59 वर्ष आयु) के लिए प्रचलित आम आदमी बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु / विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा 37.5 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 12.5 प्रतिशत राशि छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है।

शैक्षणिक वर्ष 2016-17 का वित्तीय वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति हेतु कुल 50,423 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रूपये 6.05 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वितरित की जा चुकी है। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम

से एल.आई.सी.आई.डी प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जावेगी।

केन्द्र शासन के निर्देशानुसार समूह बीमा योजना दिनांक 28.02.2018 को समाप्त कर दिया गया है। समूह बीमा योजना संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये लागू था। इस योजनांतर्गत हितग्राही की मृत्यु होने पर रू. 3,500/- प्राप्त होता था। इस योजना के बंद होने पर अटल समूह बीमा योजना जिसमें बीमा राशि रू. 6,500/- था, उसे दिनांक 01.03.2018 से रू. 10,000/- कर दिया गया है।

इस प्रकार संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये कुल बीमा राशि को यथावत रखा गया है। अटल समूह बीमा योजना की प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि का भुगतान संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वर्ष 2017-18 में माह मार्च 2018 तक 1381 हितग्राहियों का रूपये 0.89 करोड़ की दावा राशि का भुगतान अटल समूह बीमा योजना के अंतर्गत किया गया है।

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है।

मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5418 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.62 करोड़ का भुगतान किया गया। व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 228 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.25 करोड़ का भुगतान किया गया। गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 889 छात्र / छात्राओं के कुल राशि रूपये 0.50 करोड़ का भुगतान किया गया। तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कक्षा 10वीं में कुल 913 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 1.57 करोड़ एवं कक्षा 12वीं में कुल 668 छात्र / छात्राओं को राशि रूपये 1.60 करोड़ का भुगतान किया गया।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

इस वर्ष तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रुपये 1800/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रुपये 2500/- प्रति मानक बोरा की गयी। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 951 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 784 लाटों की 13.921 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रूपये 792.94 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रूपये 5696/- प्रति मानक बोरा है। वर्ष 2018 सीजन में विक्रित लाटों में 12.727 लाख मानक बोरा तथा अविक्रित लाटों में 2.117 लाख मानक बोरा कुल 14.844 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्तों का संग्रहण हुआ, जो अधिसूचित मात्रा का 88.80 प्रतिशत है।

शेष अविक्रित 167 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.796 लाख मानक बोरा के विरुद्ध 2.117 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण हुआ तथा संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। संग्राहकों को लगभग रूपये 371.10 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 सीजन के अग्रिम विक्रित 784 लाटों में से 4 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 780 लाटों में 12.727 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका अग्रिम विक्रय मूल्य रू. 724.53 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 5696/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 167 लाटों में से 28 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ। इस प्रकार 139 लाटों में 2.117 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। प्रदेश में कुल 919 लाटों में कुल 14.844 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता संग्रहण हुआ है, जो अधिसूचित मात्रा का 88.80 प्रतिशत है। जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों तथा अनिवर्तित लाटों में संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** पर संलग्न है।

वर्ष 2017 के 760 लाटों की पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त हो गयी है। 26 लाटों के एक भी किश्त की राशि प्राप्त नहीं हुयी है। 63 लाटों की प्रथम किश्त, 69 लाटों की द्वितीय किश्त, 32 लाटों की तृतीय किश्त की राशि प्राप्त हुयी है। लगभग 2.36 मानक बोरा की राशि लगभग रू. 188.00 करोड़ की भुगतान प्राप्ति लंबित है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

(क) संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस दृष्टि से शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश में **परिशिष्ट 'ग-1'** एवं **परिशिष्ट 'ग-2'** में दिये गये विवरण अनुसार 7 वनोपजों का क्रय किया जा रहा है। भारत सरकार से लघु वनोपज संघ को वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में रू. 153.66 करोड़ तथा राज्य सरकार से वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में रू. 51. 25 करोड़ इस प्रकार कुल रू. 204.91 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उक्त योजना की जिला स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 25.07.2014 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **''राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति''** का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 22.09.2017 द्वारा पूर्व में गठित समिति में आंशिक संशोधन किया गया है।

योजना के अंतर्गत क्रय की जा रहीं लघु वनोपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रबंध संचालकों को समुचित निर्देश दिये गये है। वनोपज का संग्रहण निरंतर हो सके, इस हेतु विनाशविहीन विदोहन पद्धति से वनोपज के संग्रहण के बारे में संग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। उप प्रबंध संचालक एवं उप प्रबंधकों को बैठक में विस्तृत निर्देश दिये गये है। वृत्त स्तर पर प्रबंधकों की बैठकें भी आयोजित की जा रही है, जिसमें लघु वनोपज की गुणवत्ता एवं विनाशविहीन विदोहन विषयों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। वनोपज का क्रय वास्तविक संग्राहकों / उत्पादकों से ही किया जावें एवं क्रय में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावें इस बाबत् भी निर्देश दिये गये हैं।

इस योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु वनोपजों की क्रय दरें भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2/21/2013-M&J/Livelihood दिनांक 21.11.2017 द्वारा निर्धारित किया गया, जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा में दिनांक

10.02.2018 को बजट प्रस्तुतीकरण में वर्ष 2017-18 के लिये घोषित लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बोनस देने का निर्णय लिया गया, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	लघु वनोपज का नाम	भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि (रू. प्रति किलो ग्राम में)	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वनोपज के संग्रहण दर के अतिरिक्त बोनस राशि प्रति किलो ग्राम (न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि)	न्यूनतम समर्थन मूल्य + बोनस राशि = कुल रू. प्रति किलो ग्राम (3+4)
1	2	3	4	5
1.	साल बीज	12/-	1/-	13/-
2.	हर्रा	8/-	3/-	11/-
3.	इमली बीज युक्त	18/-	7/-	25/-
4.	महुआ बीज	20/-	2/-	22/-
5.	कुसुमी लाख	167/-	33/-	200/-
6.	चिरौंजी गुठली	93/-	12/-	105/-

उक्त दर पर वनोपज क्रय हेतु कार्यालयीन पृ. क्रमांक/ वनो/संघ/न्यू.स.मू./परि.विप./ 3096 दिनांक 28.02.2018 द्वारा समस्त जिला यूनियन, छ.ग को निर्देश दिये गये हैं।

योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न लघु वनोपज के क्रय पर रू. 12.90 करोड़ संग्राहकों को भुगतान किया गया।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत अगले चरण में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 19/11/2014-CP&R/Livehood (Vol.II) दिनांक 19.02.2018 द्वारा Development of Value Chain for MFP अन्तर्गत हाट - बाजार क्षेत्रों में मूल सुविधा सह भंडारण केन्द्र एवं गोदाम निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 हेतु राशि रू. 119.21 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्रांश 75 प्रतिशत की राशि रूपये 89.4075 लाख एवं राज्यांश 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रू. 29.8025 लाख होती है।

उक्त राशि से निम्नानुसार कार्य कराया जाना है:

अ. ब्लाक / रेंज / सबरेंज स्तर पर 50 मि.टन क्षमता लागत राशि **रू. 3.25** लाख से दक्षिण कोंडागांव (बफना), केशकाल (लंजोड़ा), बलरामपुर (चान्दो), जगदलपुर (केशरपाल) एवं पश्चिम भानुप्रतापुर (हरनगढ़) में गोदाम निर्माण की स्वीकृति संबंधित जिला यूनियन को दी गई है।

ब. हाट बाजार स्तर पर पेयजल, प्लेटफार्म शेड युक्त बाजार सुविधा केन्द्र (मार्केट फेसीलिटी सेंटर) क्षमता 25 मि.टन, लागत **रू.5.00** लाख निर्माण की स्वीकृति दक्षिण कोंडागांव (चिपावण्ड), केशकाल (धनोरा), बलरामपुर (बलरामपुर), जगदलपुर (कंगोली) एवं पश्चिम भानुप्रतापुर (पी.व्ही 37) प्रत्येक जिला यूनियन को दी गई है। जगदलपुर, सरगुजा एवं दुर्ग वृत्त से अन्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

स. जगदलपुर जिला यूनियन अन्तर्गत विभिन्न वनोपज के भंडारण हेतु कंगोली में 1000 मी.टन भंडारण क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु राशि रू. 36.71 लाख की स्वीकृति दी गई।

द. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हेतु प्रबंध संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड), नई दिल्ली एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के मध्य दिनांक **12.03.2018** को MoU हस्ताक्षरित किया गया।

इ. भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत सम्मिलित वनोपज एवं इसके अतिरिक्त वनोपज की मात्रा, प्रचलित दर एवं हॉट बाजार की जानकारी जिला यूनियनों से प्राप्त कर ट्राईफेड नई दिल्ली के पोर्टल में प्रत्येक माह अपलोड किया जा रहा है।

फ. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित बोनस - पारिश्रमिक के व्यापक प्रचार - प्रसार हेतु **1 लाख** नग पोस्टर, **2 लाख** नग ब्रोशर एवं **10,000** नग सन बोर्ड का मुद्रण कराया गया। उक्त का विमोचन 21 मार्च 2018 को विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्य मंत्री जी, छ.ग शासन द्वारा किया गया। तद्परांत प्रचार - प्रसार हेतु समस्त जिला यूनियन छ.ग को भेजा गया।

(v) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2017-18 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी हेतु संग्रहण दर का निर्धारण करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से अनुरोध किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देश अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत दर पर ही संग्रहण एवं क्रय किया जाना है।

अतः गोंद वर्ग-1 (कुल्लू) श्रेणी-I हेतु संग्रहण दर 20,000/- श्रेणी-II हेतु संग्रहण दर 15,000/- व श्रेणी-III हेतु 10,800/- निर्धारित की गयी है। प्रदेश की 4 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 100 क्विंटल के विक्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही की गयी।

अग्रिम विक्रय की एक निविदाओं में किसी भी इकाई का विक्रय नहीं हुआ। पश्चिम भानुप्रतापपुर में गोंद वर्ग-1 (कुल्लू) तृतीय श्रेणी में 3 क्विंटल का संग्रहण हुआ है। वर्ष 2018-19 में गोंद को विनिर्दिष्ट वनोपज से हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(vi) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2017-18 हेतु धावड़ा / खैर / बबूल हेतु संग्रहण दर का निर्धारण करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से अनुरोध किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देश अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत दर पर ही संग्रहण एवं क्रय किया जाना है। धावड़ा गोंद हेतु रू. 2900/- व खैर / बबूल हेतु रू. 1740/- दर निर्धारित की गयी। गोंद वर्ग-2 में दो इकाईयों का विक्रय हुआ था, जिसमें अग्रिम विक्रित इकाई बीजापुर में 25.00 क्विंटल गोंद का संग्रहण हुआ है।

(vii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2016 के तेन्दू पत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 275.30 करोड़ का संग्राहकों को वितरण लगभग पूर्ण किया जा चुका है। संग्रहण वर्ष 2017 के 950 लाटों में से 760 लाटों का पूर्ण निर्वर्तन किया जा चुका है एवं शेष का निर्वर्तन का कार्य प्रगति पर है, जिन लाटों का पूर्ण निर्वर्तन हो चुका है, उनमें प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरण की तैयारी प्रारंभ कर दी गयी है। समस्त 950 लाटों के निर्वर्तन होने पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक लगभग रू. 745 करोड़ वितरण योग्य होगी, जो परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है, परन्तु 760 लाटों की सम्पूर्ण राशि प्राप्त हुई है, अतः 750 समितियों को लगभग रू. 600.00 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक सितम्बर 2018 तक वितरण होगा।

(viii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 का लेखांकन कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटराइजेशन शीघ्र शुरु किया जा रहा है।

(ix) संघ विभाजन संबंधी विवाद -

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्‌वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(x) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के केताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है। उक्त मनी रसीदों का विवरण संघ मुख्यालय का प्रमाणक क्रमांक / दिनांक संघ की वेबसाइट में प्रत्येक दिवस प्रदर्शित होगी।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे केताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार केताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातें में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत् सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातें खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/वनो./संघ/वित्त/2018/7911 रायपुर दिनांक 12.06.2018 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के मासिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती हैं।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा प्रतिदिन अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख का आहरण / भुगतान किया जा सकता है।

(xi) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण

वर्ष 2017-18 में शासन निर्णय अनुसार 11.57 लाख महिला तेन्दू पत्ता संग्राहकों को एक जोड़ी चप्पल वितरण हेतु चप्पल क्रय कर वितरित की जा चुकी है। शासन निर्णय अनुसार वर्ष 2017-18 में तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका प्रदाय हेतु क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(xii) फड़मुंशियों को सायकल वितरण

शासन के निर्देशानुसार समस्त 901 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अंतर्गत कार्यरत 10279 फड़ मुंशियों को मार्च-अप्रैल 2018 में सायकल वितरण किया गया।

(xiii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं फड़ मुंशियों का समूह बीमा

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से बीमा कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को बीमित राशि उपलब्ध हो सके। प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

संचालक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 17.01.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 68:21 में प्रबंधकों के बीमा राशि रूपये 1.00 लाख के पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अनुमति उपरान्त तथा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का बीमा दिनांक 19.05.2017 से भारतीय जीवन बीमा निगम से रू. 1.00 लाख प्रति प्रबंधक बीमा कराया गया है। इसकी सम्पूर्ण प्रीमियम राशि संघ द्वारा देय होगी।

राज्य शासन के निर्देशानुसार फड़मुंशियों को भी बीमा करने की कार्यवाही प्रगति पर है। फड़ मुंशियों को संग्राहक परिवार के मुखिया के बीमा योजना की तरह 18 से 50 वर्ष की आयु के फड़ मुंशिय़ों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जा रहा है, जिसमें सामान्य मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर रू. 2.00 लाख अतिरिक्त प्राप्त होगा। 50 वर्ष से 59 वर्ष के फड़ मुंशियों को प्रबंधकों की तरह रू. 1.00 लाख की बीमा करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(xiv) वनोपज सहकारी संस्थाओं का संचालक मण्डल

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं जिला लघुवनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया गया है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को पूर्ण कर निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किया गया:-

क्रमांक	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम
1	श्री भरत साय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	अध्यक्ष
2	श्री टीकम टॅाडिया, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	उपाध्यक्ष
3	कु.समीरा पैकरा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
4	श्रीमती सुशीला बाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
5	श्री कपूर चंद बिसाई, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक
6	श्री यज्ञ दत्त शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	संचालक

(xv) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन - लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

वन क्षेत्रों में अकाष्ठीय वनोपज के विकास हेतु **''लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना''** की जा रही है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य किये जाते है। सभी कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

संघ मद से वित्तीय वर्ष 2014-15 की 12 परियोजनाएं 07 जिला यूनियनों में संचालित है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 की 01 परियोजना आदिवासी मद से संचालित है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 'घ'** पर संलग्न है।

वर्ष 2017-18 में 06 जिला यूनियनों में 06 परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 'ङ'** पर संलग्न है। लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना के तहत 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों (200 से 500 हे. तक के क्षेत्र) की स्थापना मार्च 2019 तक की जानी है।

3. लाख विकास

अ. राज्य शासन की लाख विकास योजना

लाख की लाभप्रद खेती एवं प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीणों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एवं राज्य में लाख खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख विकास योजना नामक नवीन बजट मद वर्ष 2007-08 से प्रारंभ किया गया है। इस मद में वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक रू. 2010.00 लाख का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि रू. 210.00 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त राशि रू. 100.00 लाख से लाख पालन की स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कार्य सम्पादन हेतु राशि प्रदाय के साथ ही साथ लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र, माकड़ी में लाख पालक कृषकों / मास्टर ट्रेनर्स के लिए आगामी प्रशिक्षण आयोजित की जावेगी। वर्तमान में योजना अंतर्गत 22238 हितग्राहियों के माध्यम से 66934 कुसुम, 473768 पलाश तथा 5442 बेर वृक्षों में लाख की खेती की जा रही है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2018-19 तक इस योजना अंतर्गत कुल प्रदाय राशि रू. 1923.23 लाख के विरूद्ध अद्यतन स्थिति में राशि रू. 1634.82 लाख व्यय कर निम्न कार्य सम्पादित किये गयेः-

- उक्त योजना अंतर्गत अभी तक लाख पालन की 83 परियोजनाओं के लिए कुल राशि रू. 1207.04 लाख स्वीकृत की जा चुकी है जिसके विरूद्ध रू. 1075.78 लाख विभिन्न जिला यूनियनों को मुक्त की गई। जिला यूनियनों में उन्हें प्रदाय राशि के विरूद्ध रू. 991.94 लाख अद्यतन स्थिति में व्यय की जा चुकी है। जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट 'च'** पर संलग्न है।
- वर्ष 2017-18 में भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान रांची में दिनांक 16.02.2018 को आयोजित किसान मेला सह कृषि मशीनरी प्रदर्शनी 2018 में छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान श्री प्रकाश चन्द्र निषाद, ग्राम-दसपुर जिला-कांकेर, श्री भोज राम साहू, ग्राम-बेलडीह जिला-महासमुंद, एवं श्री जनक राम रात्रे, ग्राम-कुरूमौहा जिला-कोरबा को राष्ट्र स्तरीय **''उत्कृष्ट लाख कृषक पुरस्कार''** तथा श्री राजीव लोचन नायक सीनियर एक्सीक्यूटिव तकनीकी, जिला यूनियन कोरबा को **''उत्कृष्ट लाख प्रमोशन एक्सीक्यूटिव पुरस्कार''** से सम्मानित किया गया है।
- योजना अंतर्गत प्रदेश में वृत्त स्तर पर 6 लाख फेसिलिटेशन केंद्रो की स्थापना की गयी, जिनमें एक जूनियर एक्सीक्यूटिव तथा एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लाख की भी नियुक्ति की गई है। इनके द्वारा ग्राम स्तर पर लगभग 14500 ग्रामीणों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 105 प्रबंधकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में IINRG रांची द्वारा लाख उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन प्रबंधको द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर लगभग 22000 ग्रामीणों / कृषकों को लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- योजनांतर्गत जिला यूनियन कांकेर में एक लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र की स्थापना की गई है, जहां माह मई 2013 से दिसंबर 2015 तक 302 मास्टर ट्रेनर्स (लाख पालन) एवं लाख पालक कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ब) तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि से लाख पालन कार्य

मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 15.09.2015 में लिए गए निर्णय अनुसार संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षो में तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि में से रू. 98.00 करोड़ की राशि से लाख पालन की एक सप्त वर्षीय (2016-17 से 2022-23) योजना में 25.00 लाख पोषक वृक्षों में, 3170 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 63675 हितग्राहियों द्वारा लाख पालन का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 की अद्यतन स्थिति में तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि में से रू. 9.12 करोड़ की राशि से लाख पालन की कुल 70 परियोजनाएं स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा मुक्त राशि रू. 399.55 लाख के विरूद्ध जिला यूनियनों द्वारा रू. 170.21 लाख अद्यतन स्थिति में व्यय की जा चुकी है, इस तरह परियोजना अंतर्गत 42189 कुसुम वृक्ष तथा 100870 पलास वृक्षो के माध्यम से 9724 हितग्राही लाभांवित हो रहे है तथा यह प्रक्रिया जारी है। विवरण संलग्न परि. 01 में दर्शाया गया है। वर्तमान में 15 प्रतिशत राशि से स्वीकृत लाख पालन परियोजनांतर्गत प्रावधानित मास्टर ट्रेनर्स में से कुल 77 मास्टर ट्रेनर्स को IINRG रांची द्वारा लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट 'च'** पर संलग्न है।

4. अकाष्ठीय लघु वनोपज संबंधी कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यो को बढ़ावा देने के लिये संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। परियोजनांतर्गत 17196 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त परियोजना में ग्रामीणों के जीविकोपार्जन हेतु लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण के 74 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किये गये हैं। माइक्रोइंटरप्राइजेस में निर्मित उत्पादों के विपणन के लिये 06 NWFP मार्ट एवं 30 संजीवनी की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों में उत्पादों का विपणन **''छत्तीसगढ़ हर्बल्स''** रजिस्टर्ड ब्रांड नेम से किया जा रहा है। माइक्रोइंटरप्राइजेस एवं संजीवनी का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इन केन्द्रों में प्राप्त लाभ स्व-सहायता समूह को प्राप्त होता है। ग्रामीणों / आदिवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु राज्य में 48 वनौषधालयों की स्थापना किया जाकर वहाँ वैद्यों की नियुक्ति की गयी है। साथ ही परियोजनांतर्गत 21380 हितग्राहियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। यह परियोजना 31 दिसम्बर 2016 में समाप्त हो गयी है।

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना

यूरोपियन कमीशन परियोजना समाप्ति के पश्चात परियोजनांतर्गत संचालित कार्यों को आगे बढ़ाने तथा अकाष्ठीय लघु वनोपज रोजगारोन्मुखी कार्य के विस्तार के लिये संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से एक सात वर्षीय परियोजना "छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना" के नाम से स्वीकृत की गयी है। उक्त सात वर्षीय परियोजना की कुल लागत राशि रू. 29.50 करोड़ है, जिसमें निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है:-

क्र.	घटक का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)
1.	अकाष्ठीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	155.00
2.	भण्डारण	95.00
3.	विपणन	185.00
4.	अनुसंधान एवं विस्तार	135.00
5.	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	260.00
6.	लघु वनोपज संरक्षण	60.00
7.	सूचना प्रबंधन प्रणाली	50.00
8.	मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास	2010.00
	योगः-	2950.00

4.2 वनौषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत स्थापित 06 वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधी उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है। इन केन्द्रों में 90 वनौषधी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही आंवला, बेल, जामुन, तिखुर, शहद, चिरौंजी एवं काजू आदि हर्बल खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों से शहद का संग्रहण कर 04 केन्द्रों में शहद प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ माहुल पत्तों से 10 केन्द्रों में दोना-पत्तल बनाने का कार्य भी स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

4.3 विपणन

राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है, जहाँ से वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु **"छत्तीसगढ़ हर्बल्स"** ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट में वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार हैः-

वर्ष	क्रय मूल्य (रू. लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
2017-18	101.68	126.06

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु विभिन्न जिलों में कुल 30 संजीवनी की स्थापना की गयी है। इन संजीवनी विक्रय केन्द्रों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों का संघ मुख्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय किया जाता है। वृत्त मुख्यालय स्तरीय संजीवनी विक्रय केन्द्रों में प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया तथा कैशलेश लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु अनुकरणीय पहल करते हुये इलेक्ट्रानिक भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की गयी है। रायपुर NWFP मार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

छ.ग प्रदेश में हर्बल उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं आम जनता के लिए सुलभ उपलब्धता के उद्देश्य से दिनांक 21.03.2018 को विश्व वानिकी दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा **मोबाईल वैन** का विमोचन किया गया।

ट्रायफेड के उत्पाद जैसे हेण्डीक्राफ्ट, हेण्डलूम एवं नेचरल ऑर्गेनिक उत्पाद को संजीवनी में रखकर विक्रय करने तथा छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ अन्तर्गत तैयार हर्बल उत्पादों को ट्रायफेड के शो रूम से विक्रय करने हेतु वनोपज संघ एवं ट्रायफेड के मध्य दिनांक 18.10.2017 को अनुबंध किया गया।

4.4 प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण

स्व-सहायता समूहों, प्रबंधकों एवं जिला यूनियन के अधिकारी / कर्मचारी हेतु वन वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही शहद संग्राहकों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

शहद संग्राहकों के प्रशिक्षण अंतर्गत भारत सरकार से संस्थागत विकास हेतु आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान सहायता से कच्चे शहद के उत्पादन में वृद्धि हेतु विनाश विदोहन पद्धति से शहद संग्रहण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर सेंटर आफ साइंस फार विलेजेन्स वर्धा के विषय विशेषज्ञों द्वारा माह अप्रैल 2018 में 30 प्रशिक्षणार्थियों के मान से 02 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया। उक्त प्रशिक्षण जिला यूनियन कवर्धा, धरमजयगढ़ तथा जशपुर में सम्पन्न हुआ, जिसमें कुल 92 हितग्राहियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रत्येक प्रशिक्षण में 01 सेट शहद संग्रहण टूल किट व 01 नग स्टिंग प्रुफ ड्रेस का वितरण शहद संग्राहकों को किया गया।

संघ मुख्यालय, जिला यूनियन तथा प्राथमिक लघु वनोपज समिति के निर्वाचित सदस्यों, समिति प्रबंधकों के लिये देश के विभिन्न राज्यों में जहाँ अकाष्ठीय वनोपज संबंधी गतिविधियां संचालित है, में FRLHT बैंगलोर के सहयोग से अध्ययन प्रवास भी कराया जा रहा है। उक्त के तहत् संघ के संचालक मंडल के सदस्य का अध्ययन भ्रमण माह अक्टूबर 2017 में आयोजित किया गया। जिला यूनियन तथा प्राथमिक लघु वनोपज समिति के निर्वाचित सदस्यों का अध्ययन भ्रमण बैंगलोर एवं केरल राज्य में आयोजित किया गया।

स्व-सहायता समूहों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति सदस्यों, जिला यूनियन के अधिकारी / कर्मचारी के लिये एक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका **'जीविकोपार्जन कार्यों के बढ़ावा हेतु हितग्राहियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण'** "SKILL DEVELOPMENT OF BENEFICIARIES FOR THE PROMOTION OF LIVELIHOOD ACTIVITIES" तैयार कर दिनांक 13.08.2017 को संयुक्त वन प्रबंधन एवं प्राथमिक वनोपज समितियों का महा सम्मेलन **'वन मड़ई 2017'** के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से विमोचन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के 5000 दिवस के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर जनाधार वन - धन आजीविकाओं का विषय पर एक 'स्मारिका' भी जारी की गयी, जिसमें पृष्ट क्र. 19 से 28 तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों का सचित्र उल्लेख है।

सम्पूर्ण वर्ष में किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये एक ट्रेनिंग कलैण्डर तैयार किया गया है। तैयार कलैण्डर के अनुसार वन वृत्तवार प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें लगभग 2000 स्व-सहायता समूह / वन प्रबंधन समिति के सदस्य तथा प्रबंधकों द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक 21.03.2018 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में लगभग 1500 प्रतिभागी उपस्थित हुये, जिसमें जिला यूनियन / प्राथमिक लघु वनोपज समिति के निर्वाचित सदस्य, स्व-सहायता समूह, वैद्य सम्मिलित है। कार्यशाला का विषय ''सतत् जीविकोपार्जन का आधार - लघु वनोपज का व्यापार'' था। उक्त कार्यशाला में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से संबंधित ब्रोशर, पोस्टर का लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से किया गया।

उत्कृष्टता पुरूस्कार 2017

विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के उत्कृष्टता पुरूस्कार नियम 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला यूनियन प्रबंध संचालक, उप प्रबंध संचालक, समिति प्रबंधक को माननीय मुख्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के हस्ते पुरूस्कार प्रदान किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पुरस्कार / सम्मान हेतु चयनित जिला यूनियन / अधिकारियों का नाम	अन्य विवरण
1.	जिला यूनियन कटघोरा	उत्कृष्ट जिला यूनियन पुरस्कार हेतु (पुरूस्कार राशि रू. 1,00,000/-)
2.	श्री राजू अगासीमनी प्रबंध संचालक जिला यूनियन, जगदलपुर	उत्कृष्ट प्रबंध संचालक जिला यूनियन पुरस्कार हेतु (पुरूस्कार राशि रू. 25,000/-)
3.	श्री राम रतन पैंकरा तत्कालिन उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन केशकाल, वर्तमान पदस्थिति पत्थलगांव वनमंडल जशपुर	उत्कृष्ट उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन पुरस्कार हेतु (पुरूस्कार राशि रू. 18,000/-)
4.	श्री करूण सागर खुटिया उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन सूरजपुर	उत्कृष्ट उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन पुरस्कार हेतु (पुरूस्कार राशि रू. 18,000/-)

उक्त के अतिरिक्त 06 प्रबंधकों श्री संतोष कुमार बघेल, श्री परमानंद सोनवानी, श्री राम कुमार यादव, श्री गोविंद राम यादव, श्री गुलाब चंद यादव एवं श्री सुखराम नेताम (प्रबंधक) को भी माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्ते उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ राशि रू. 12,000/- का धनादेश प्रदान किया गया है।

वनौषधी प्रसंस्करण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु आयोजित कार्यशाला

वनौषधी प्रसंस्करण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु वन वृत्त, बिलासपुर **अंतर्गत दिनांक 07.06.2017 से 08.06.2018** तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्व-सहायता समूह के सदस्य एवं वैद्य के साथ-साथ मुख्यालय तथा वृत्त के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित हुये। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वनौषधी प्रसंस्करण केन्द्रों तथा मार्ट, संजीवनी के आय में 10

गुणा वृद्धि करना है। कार्यशाला में समस्त केन्द्रों के लिये 10 गुणा विक्रय का लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किया गया है। स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु विस्तृत प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया है।

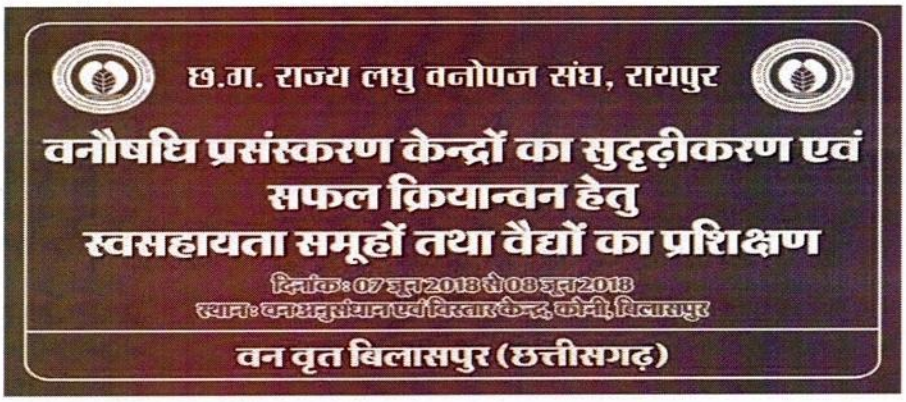

5. आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

भारत सरकार, आदिवासी मामलों का मंत्रालय नई दिल्ली से संघ को अनुदान के रूप में वर्ष 2015-16 राशि रू. 200.00 लाख प्राप्त हुई। उक्त राशि से वनोपज के भंडारण हेतु जिला यूनियन खैरागढ़ एवं राजनांदगांव में बड़े गोदामों का निर्माण कराया गया।

(xvi) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय प्रतिमाह रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 12,500/- प्रतिमाह दिनांक 01.11.2017 से किया गया है।

तत्पश्चात प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का परिश्रमिक में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक रूपये 12,500/- से बढ़ाकर रूपये 15,000/- करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन के पास प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - 'क'

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत/भरे पदों की जानकारी

अ.क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
4	उप महा प्रबंधक (उप वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	0	2	6	4	2	30	24	6	38	28	10
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	6	4	11	6	5
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	173	7	180	173	7
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
24	वरिष्ट लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	5	-1	6	6	0	27	22	5	37	33	4
26	कनिष्ट लेखापाल	7	5	2	0	0	0	21	16	5	28	21	7
27	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	7	0	6	5	1	31	27	4	44	39	5
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	15	6	6	6	0	61	38	23	88	59	29
31	वाहन चालक	12	9	3	3	3	0	19	11	8	34	23	11
32	दफ्तरी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	संदेशवाहक	17	11	6	12	9	3	48	28	20	77	48	29
34	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	33	4	37	33	4
35	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग:-	109	76	32	39	33	6	464	378	86	612	487	124

महा प्रबंधक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ
रायपुर

परिशिष्ट-'ख'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं अविक्रित लाटों में संग्रहण का विवरण

संग्रहण वर्षः 2018

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अधिसूचित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम विक्रित लाटों का विवरण					वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)		
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य रू.	औसत विक्रय दर (रू. प्रति मानक बोरा)	अग्रिम में अविक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित	विभागीय	कुल संग्रहण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बीजापुर	45	80500.000	40	76100.000	434413300.00	5708.45	4400.000	75763.444	1188.374	76951.818
सुकमा	48	90400.000	16	24000.000	111385300.00	4641.05	66400.000	22180.338	13948.540	36128.878
दंतेवाड़ा	8	19000.000	3	9000.000	41573000.00	4619.22	10000.000	8432.490	4755.142	13187.632
जगदलपुर	15	25100.000	12	20600.000	79141600.00	3841.83	4500.000	21140.847	3350.532	24491.379
दक्षिण कोंडागांव	11	21000.000	7	13000.000	48372200.00	3720.94	8000.000	14753.977	6989.505	21743.482
उत्तर कोंडागांव	16	29300.000	11	19100.000	75470600.00	3951.34	10200.000	20904.320	10534.928	31439.248
नारायणपुर	12	23100.000	5	11400.000	45903600.00	4026.63	11700.000	10591.490	11980.515	22572.005
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96900.000	27	45300.000	245581400.00	5421.22	51600.000	43501.285	51008.920	94510.205
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	80400.000	20	33700.000	156747500.00	4651.26	46700.000	28640.810	45219.000	73859.810
कांकेर	24	38100.000	22	36100.000	213763600.00	5921.43	2000.000	31703.225	2021.713	33724.938
राजनांदगांव	51	84400.000	43	72900.000	371826400.00	5100.50	11500.000	64303.135	10561.715	74864.850
खैरागढ़	24	42600.000	12	19500.000	83723500.00	4293.51	23100.000	14027.415	20675.790	34703.205
बालोद	18	26900.000	18	26900.000	177703000.00	6606.06	0.000	22182.590	0.000	22182.590
कवर्धा	24	40800.000	18	30800.000	166211100.00	5396.46	10000.000	31895.890	10339.050	42234.940
धमतरी	23	27300.000	23	27300.000	153955400.00	5639.39	0.000	28394.805	0.000	28394.805
गरियाबंद	62	84300.000	55	76000.000	510258100.00	6713.92	8300.000	71137.480	8669.655	79807.135
महासमुंद	69	95400.000	69	95400.000	634034700.00	6646.07	0.000	81986.530	0.000	81986.530
रायपुर	16	25600.000	15	24600.000	155419700.00	6317.87	1000.000	20408.870	881.120	21289.990
बिलासपुर	21	32200.000	21	32200.000	187265100.00	5815.69	0.000	29489.110	0.000	29489.110
मरवाही	14	21900.000	14	21900.000	128676400.00	5875.63	0.000	18089.220	0.000	18089.220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जांजगीर-चांपा	7	10700.000	3	3200.000	13174100.00	4116.91	7500.000	2105.500	7589.575	9695.075
रायगढ़	41	60700.000	41	60700.000	362079300.00	5965.06	0.000	55199.825	0.000	55199.825
धरमजयगढ़	53	82500.000	53	82500.000	593269700.00	7191.15	0.000	74036.225	0.000	74036.225
कोरबा	34	53200.000	33	51900.000	385418800.00	7426.18	1300.000	47385.645	1045.350	48430.995
कटघोरा	39	78500.000	38	77100.000	547817000.00	7105.28	1400.000	64193.615	935.780	65129.395
जशपुर नगर	20	39000.000	20	39000.000	194475700.00	4986.56	0.000	38434.720	0.000	38434.720
मनेन्द्रगढ़	20	44500.000	20	44500.000	234013000.00	5258.72	0.000	39477.715	0.000	39477.715
कोरिया	16	33400.000	16	33400.000	190586500.00	5706.18	0.000	35787.850	0.000	35787.850
सरगुजा	15	38000.000	15	38000.000	208296000.00	5481.47	0.000	33595.225	0.000	33595.225
बलरामपुर	64	165700.000	64	165700.000	742220300.00	4479.30	0.000	152792.660	0.000	152792.660
सूरजपुर	30	80300.000	30	80300.000	436628500.00	5437.47	0.000	70196.150	0.000	70196.150
कुल योग	951	1671700.000	784	1392100.000	7929404400.00	5696.00	279600.000	1272732.401	211695.204	1484427.605

कार्यकारी संचालक
(व्यापार एवं विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

परिशिष्ट 'ग-1'

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत वर्षवार क्रय वनोपज एवं संग्राहकों को

वर्ष 2014				
क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	125676.05	10.00	125676050.00
2	हर्रा	34645.720	11.00	38110292.00
3	इमली	35445.650	22.00	77980430.00
	योगः-	**195767.42**		**241766772.00**

वर्ष 2015				
क	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	111982.610	10.00	111982610.00
2	हर्रा	57126.900	11.00	62839590.00
3	इमली	891.500	22.00	1961300.00
4	चिरौंजी गुठली	6329.280	100.00	63292800.00
5	महुआ बीज	4856.229	22.00	10683703.80
6	कुसमी लाख	3336.636	320.00	106772352.00
7	रंगीनी लाख	1400.0	230.00	32200000.00
	योगः-	**185923.155**		**389732355.80**

वर्ष 2016				
क	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	क्रय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	2807.580	10.00	2807580.00
2	हर्रा	3087.760	8.00	2470208.00
3	चिरौंजी गुठली	7754.243	100.00	77542430.00
4	महुआ बीज	50.700	22.00	111540.00
5	कुसमी लाख	3506.339	320.00	112202848.00
	रंगीनी लाख	1011.066	230.00	23254518.00
	योगः-	**18217.688**		**218389124.00**

वर्ष 2017				
क	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	कय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रू. में)
1	सालबीज	123126.470	10.00	123126470.00
2	हर्रा	125.870	11.00	138457.00
3	इमली	0.000	22.00	0.00
4	चिरौंजी गुठली	135.670	60.00	814020.00
5	महुआ बीज	1490.445	20.00	2980890.00
	कुसमी लाख	23.132	150.00	346980.00
	रंगीनी लाख	155.715	100.00	1557150.00
	योगः-	**125057.302**		**128963967.00**

वर्ष 2018 (दिनांक 30.06.2018 तक की स्थिति में)				
क	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विं में)	कय दर (रू. प्रति किलो ग्राम में)	संग्राहकों को भुगतान योग्य राशि (रू. में)
1	सालबीज	265.650	13.00	345345.00
4	चिरौंजी गुठली	842.412	105.00	8845326.00
5	महुआ बीज	4.500	22.00	9900.00
6	कुसमी लाख	83.470	200.00	1669400.00
7	रंगीनी लाख	178.360	130.00	2318680.00
	योगः-	**1374.392**		**13188651.00**
	महा योगः-	**526339.957**		
	महायोगः- वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018			**992040869.80**

Bhanu

कार्यकारी संचालक

(परियोजना एवं विपणन)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

परिशिष्ट - ग-2

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत क्रय / विक्रय एवं लाभ / हानि पत्रक

(मात्रा क्विंटल में, राशि रू. करोड़ में)

क्र	लघु वनोपज का नाम	वर्ष	संग्रहित मात्रा	विक्रित मात्रा	सूखत मात्रा	अंतिम शेष मात्रा	कुल संग्रहित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead सहित)	विक्रित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead साहित)	कुल विक्रय मूल्य	लाभ/(हानि)	
1	2	3	4	5	6	7 (4-5-6)	8	9	10	11 (10-9)	
1	सालबीज	2014	1,25,676.050	1,24,778.165	897.885	0.000	14.91	14.91	16.57	1.66	(1.76)
		2015	1,11,982.610	1,11,704.160	278.450	(0.000)	13.28	13.28	5.85	(7.43)	
		2016	2,807.580	2,807.580	-	-	0.33	0.33	0.31	(0.02)	
		2017	1,23,126.470	1,23,126.470	-	-	14.60	14.60	18.63	4.03	
2	हर्रा	2014-15	34,644.720	34,178.260	466.460	(0.000)	4.40	4.40	1.56	(2.84)	(6.86)
		2015-16	57,126.900	57,073.160	-	53.740	7.26	7.25	3.32	(3.93)	
		2016-17	3,087.760	3,087.760	-	-	0.30	0.30	0.21	(0.09)	
3	इमली	2015	35,445.650	35,445.650	-	-	8.99	8.99	8.64	(0.35)	(0.29)
		2016	893.610	891.500	-	2.110	0.23	0.23	0.29	0.06	
4	कुसमी लाख	2015	3,336.636	3,326.546	10.090	0.000	11.18	11.18	2.27	(8.91)	(15.43)
		2016	3,506.339	3,503.479	-	2.860	11.75	11.74	5.22	(6.52)	
		2017	20.436	20.436	-	-	0.03	0.03	0.03	-	
5	रंगीनी लाख	2015	1,400.488	1,384.688	15.800	(0.000)	3.41	3.41	0.71	(2.70)	(4.24)
		2016	1,011.066	972.256	-	38.810	2.46	2.37	0.87	(1.50)	
		2017	160.995	160.995	-	-	0.18	0.18	0.14	(0.04)	

6	चिरौंजी गुठली	2015	6,329.280	6,323.780	5.500	-	6.64	6.64	2.18	(4.46)	(9.76)
		2016	7,754.243	7,719.243	-	35.000	8.13	8.10	2.83	(5.27)	
		2017	135.670	135.670	-	-	0.09	0.09	0.06	(0.03)	
7	महुआ बीज	2015	4,856.229	4,856.229	-	-	1.17	1.17	0.96	(0.21)	(0.27)
		2016	50.700	50.700	-	-	0.12	0.01	0.01	-	
		2017	1,490.445	1,490.445	-	-	3.30	0.33	0.27	(0.06)	
		योग:-	5,24,843.877	5,23,037.172	1,674.185	132.520	112.76	109.54	70.93		(38.61)
		प्रतिशत % :-		99.66%	0.32%	0.03%					35.25%
									कुल लाभ		5.75
									कुल हानि		(44.36)
									शुद्ध हानि		(38.61)

कार्यकारी संचालक
(व्यापार एवं विकास)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

परिशिष्ट - 'घ'

संचालित लोक संरक्षित क्षेत्र की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन	मद	स्वीकृत पी.पी.ए का नाम	पी.पी.ए का कुल क्षेत्रफल हेक्टे. में	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष	प्रदाय राशि	कक्ष क्रमांक
					स्थापना का वर्ष एवं क्षेत्रफल	स्वीकृत राशि	स्थापना का वर्ष एवं क्षेत्रफल	स्वीकृत राशि	स्थापना का वर्ष एवं क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गरियाबंद	संघमद	उर्तलीबुटेगा	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	561, 563, 615, 617
2			गोदलबाय, थुहापानी	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	422, 423, 429, 430
3	कांकेर	संघमद	बासपत्तर	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	131, 132, 133, 444
4			चिड़कापारा	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	109, 110, 111, 112, 113
5	पश्चिम भानुप्रतापपुर	संघमद	कोयलीबेड़ा	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	1353, 1356, 1357, 1365 से 1370 तक
6	कटघोरा	संघमद	मदनपुर	3000	2014-15 1000	13.83	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	430, 431, 432, 433
7		आदिवासी मद	जल्के	3000	2015-16 1000	18.15	2017-18 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	211, 212, 213, 214, 215
8	रायगढ़	संघमद	दमदमा	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	1080, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088

9	बलरामपुर	संघमद	सोनहरा	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	3359, 3360, 3361, 3364
10	सूरजपुर	संघमद	रामानुजनगर	3000	2014-15 1000	18.15	2016-17 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	1972 से 1978
11	धरमजयगढ़	संघमद	पहाड़लुडेग	3000	2014-15 1000	18.15	2018-19 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	169, 170, 172, 173 तथा 174
12			फुटहामुड़ा	3000	2014-15 1000	18.15	2018-19 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	293, 294, 295, 296पी, 297, 322 तथा 351पी.
13			तोलगे	3000	2014-15 1000	18.15	2018-19 1000	13.83	2018-19 1000	13.83	345, 331 पी, 346 तथा 347
योग				**39000**		**231.6**		**179.73**		**179.725**	

Bhandari

कार्यकारी संचालक
(परियोजना एवं विपणन)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

परिशिष्ट-'ङ'

वर्ष 2017-18 में स्वीकृत लोक संरक्षित क्षेत्र की सूची

अनु. क्र.	जि.यू का नाम	क्षेत्रफल (हिक्टेयर में)	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4
1.	बलौदाबाजार	500	111.97
2.	महासमुंद	500	111.97
3.	धमतरी	500	111.94
4.	जगदलपुर	275	62.13
5.	राजनांदगांव	500	78.72
6.	सूरजपुर	400	89.82
	योगः-	**2679**	**566.55**

कार्यकारी संचालक
(परियोजना एवं विपणन)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

परिशिष्ट - 'च'

लाख पालन परियोजनाओ की जानकारी जून 2018 की स्थिति में (रू.लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	परियोजना का नाम										
		राज्य मद की लाख विकास योजना				संघ मद की लाख पालन योजना				योग		
		परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	व्यय राशि	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	व्यय राशि	4+8	5+9	6+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खैरागढ़	2	40.00	40.00	35.49	0	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	35.49
2	बिलासपुर	5	61.41	61.41	60.78	2	10.81	5.53	2.46	72.22	66.94	63.24
3	बालोद	3	27.21	25.01	19.05	0	0.00	0.00	0.00	27.21	25.01	19.05
4	महासमुंद	4	47.68	45.22	36.72	4	24.88	18.22	1.34	72.57	63.44	38.06
5	गरियाबंद (पूर्व रायपुर)	1	7.08	7.08	7.26	0	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	7.26
6	बलौदाबाजार	12	163.44	127.89	105.23	2	43.41	24.25	0.07	206.85	152.14	105.30
7	कोरबा	2	23.10	23.10	23.08	9	78.38	51.85	27.02	101.48	74.95	50.10
8	रायगढ़	1	9.50	9.50	9.51	0	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.51
9	धरमजयगढ़	1	8.71	8.71	8.61	8	81.78	49.65	7.42	90.49	58.36	16.02
10	मरवाही	3	44.32	44.32	37.39	0	0.00	0.00	0.00	44.32	44.32	37.39
11	मनेन्द्रगढ़	3	49.84	49.84	38.41	0	0.00	0.00	0.00	49.84	49.84	38.41
12	कवर्धा	1	15.68	15.68	12.72	1	12.98	12.98	8.48	28.66	28.66	21.20
13	बलरामपुर	6	73.24	70.78	60.82	6	129.04	72.94	26.19	202.28	143.72	87.00
14	कोरिया	2	19.40	19.40	14.57	0	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	14.57
15	राजनांदगांव	2	29.25	20.40	27.91	0	0.00	0.00	0.00	29.25	20.40	27.91
16	नारायणपुर	3	53.56	53.56	51.01	0	0.00	0.00	0.00	53.56	53.56	51.01
17	जगदलपुर	7	119.61	119.61	108.35	0	0.00	0.00	0.00	119.61	119.61	108.35
18	कांकेर	1	18.72	18.73	17.59	2	34.25	9.42	20.55	52.97	28.15	38.13
19	सरगुजा	8	102.34	102.34	102.34	2	40.85	22.98	0.00	143.19	125.31	102.34
20	गरियाबंद (उदंती)	2	30.69	30.69	29.27	0	0.00	0.00	0.00	30.69	30.69	29.27
21	धमतरी	3	43.36	22.70	15.42	0	0.00	0.00	0.00	43.36	22.70	15.42
22	पूर्व भानुप्रतापपुर	2	91.86	59.79	90.39	23	339.51	75.88	72.74	431.37	135.66	163.12
23	सूरजपुर	2	24.97	22.51	20.55	3	37.95	18.18	0.00	62.92	40.69	20.55
24	सुकमा	1	15.27	2.99	1.33	0	0.00	0.00	0.00	15.27	2.99	1.33
25	कटघोरा	1	17.85	17.85	17.85	7	56.08	30.58	3.95	73.93	48.43	21.80
26	उ.कोण्डागांव	3	39.36	39.36	28.63	0	0.00	0.00	0.00	39.36	39.36	28.63
27	दंतेवाड़ा	1	15.27	2.99	0.72	0	0.00	0.00	0.00	15.27	2.99	0.72
28	बीजापुर	1	14.33	14.33	10.97	1	22.50	7.11	0.00	36.83	21.44	10.97
	योग	83	1207.03	1075.78	991.94	70	912.41	399.56	170.21	2119.44	1475.33	1162.15

महा प्रबंधक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ
रायपुर

परिशिष्ट छ

CHHATTISGARH STATE MINOR FOREST PRODUCE (TRADING AND DEVELOPMENT) CO-OPERATIVE FEDERATION LIMITED
A-25, V.I.P. Esatate, Near V.I.P. Club, Khamardih, Shankar Nagar, Raipur

UNION WISE DETAILS OF APPROXIMATE INCOME FROM TENDU LEAVES TRADE OF 2017 SEASON FOR THE PROFITABLE SOCIETIES

S. No.	Union Name	Total No. of Societies	No. of Profitable Societies	Season 2017			80% of Approximate Income (80% of Col.7)	Approximate Incentive Wages per St. Bag
				Revenue	Expenditure	Net Income (Col.5-Col.6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BIJAPUR	24	24	708598556.36	168220440.00	540378116.36	432302493.09	6424.64
2	SUKMA	25	25	738395767.11	245046297.50	493349469.61	394679575.69	4026.58
3	DANTEWADA	11	11	234778748.18	87247265.00	147531483.18	118025186.54	3381.92
4	JAGDALPUR	15	15	140061875.37	66091272.50	73970602.87	59176482.30	2238.44
5	S.KONDAGAON	13	13	148919451.97	57922275.00	90997176.97	72797741.58	3142.04
6	N.KONDAGAON	16	16	181474522.92	75220087.50	106254435.42	85003548.34	2825.16
7	NARAYANPUR	8	8	160514796.47	62379675.00	98135121.47	78508097.18	3146.38
8	E.BHANUPRATAPPUR	42	42	860863292.30	245854987.50	615008304.80	492006643.84	5003.02
9	W.BHANUPRATAPPUR	41	41	601025551.41	207226275.00	393799276.41	315039421.13	3800.67
10	KANKER	21	21	328440049.07	94477725.00	233962324.07	187169859.26	4952.75
11	RAJNANDGAON	50	50	722274082.55	214164025.00	508110057.55	406488046.04	4745.06
12	KHAIRAGARH	20	20	319527882.84	115149925.00	204377957.84	163502366.27	3549.77
13	BALOD	17	17	227731733.04	70796187.50	156935545.54	125548436.43	4433.45
14	KAWARDHA	19	19	311442685.47	108084400.00	203358285.47	162686628.38	3762.95
15	DHAMTARI	26	26	210466278.80	65683462.50	144782816.30	115826253.04	4408.50
16	GARIYABAND	70	70	777178717.25	209890500.00	567288217.25	453830573.80	5405.56
17	MAHASAMUND	75	75	769645149.80	237242000.00	532403149.80	425922519.84	4488.27
18	BALODA BAZAR	24	24	195166068.74	62334375.00	132831693.74	106265354.99	4261.91
19	BILASPUR	23	23	255825235.82	83067637.50	172757598.32	138206078.66	4159.44
20	MARWAHI	16	16	180475919.61	56325187.50	124150732.11	99320585.69	4408.36
21	JANJGIR-CHAMPA	7	7	62901986.30	27253175.00	35648811.30	28519049.04	2616.12
22	RAIGARH	53	53	475183238.86	147066687.50	328116551.36	262493241.09	4462.15
23	DHARAMJAIGARH	59	59	756780224.34	205945287.50	550834936.84	440667949.47	5349.33
24	KORBA	38	38	497736625.94	132280600.00	365456025.94	292364820.75	5525.47
25	KATGHORA	44	44	697658755.20	204324912.50	493333842.70	394667074.16	4828.92
26	JASHPURNAGAR	24	24	291736829.40	96939150.00	194797679.40	155838143.52	4018.97
27	MANENDRAGARH	15	15	379896596.07	117816087.50	262080508.57	209664406.86	4448.98
28	KOREA	17	17	289853003.67	85531700.00	204321303.67	163457042.94	4777.67
29	SARGUJA	14	14	296902194.41	97586525.00	199315669.41	159452535.53	4084.90
30	BALRAMPUR	44	44	1129782203.92	423656637.50	706125566.42	564900453.14	3333.48
31	SURAJPUR	30	30	635288675.52	204116412.50	431172263.02	344937810.42	4224.77
State Total --->		901	901	13586526698.71	4274941175.00	9311585523.71	7449268419.01	4356.36

Note : (1) Expenditure per standard bag for 2017 season in Advance Sale = Rs. 2500.00

Executive Director (Trade / Development)
Chhattisgarh State M.F.P Federation

विषय क्रमांक - 3

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग - 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।

(i) बीमा योजनायें एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें

तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए नई योजना दिनांक 01.03.2018 से लागू की गई। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना उम्र 18 से 55 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए लागू होगी, उनकी बीमा राशि भी पूर्व की भांति मिलेगी। नई बीमा योजना - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर 02 लाख एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर रूपये 02 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। 50 से 59 वर्ष के संग्राहक परिवार के मुखिया के लिये आम आदमी बीमा योजना पूर्ववत लागू रहेगी। संग्राहक परिवार के बच्चों के लिये संघ से संचालित चारों शिक्षा योजनाएं पूर्ववत लागू रहेगी।

पिछले वर्ष की भांति वर्ष 2019-20 में संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के लिये अटल समूह बीमा योजना जिसका प्रति हितग्राही बीमा राशि रू. 10,000/- है, लागू रहेगी।

(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा

संचालक मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 17.01.2017 के प्रस्ताव क्रमांक 68:21 में प्रबंधकों के बीमा राशि रूपये 1.00 लाख के पारित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अनुमति उपरान्त तथा सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का बीमा दिनांक 19.05.2017 से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रूपये 1,00,000/- का बीमा कराया गया है, जो वर्ष 2019-20 में भी लागू रहेगी। बीमित प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को राशि रूपये 1,00,000/- उपलब्ध हो सकेगा।

वर्ष 2018-19 में इस योजना के अंतर्गत 861 समिति प्रबंधको का बीमा कराया गया है। वर्ष 2019-20 हेतु समिति प्रबंधकों को पुनः प्रबंधक समूह बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा।

(iii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दू पत्ता - वर्ष 2019-20 में भी विगत वर्ष की भांति तेन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विक्रय व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.717 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2017 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2019 में कुल 951 लाटों में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 418 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

योजना अंतर्गत प्रदेश में सालबीज, हर्रा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख का संग्रहण कर विक्रय की कार्यवाही की जावेगी। योजना पर रूपये 80 करोड़ व्यय का अनुमान है।

(v) वर्ष 2018 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में तेन्दूपत्ता का परिदान उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि का वितरण शासन के अनुमोदन उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के रूप में किया जावेगा।

(vi) तेन्दू पत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय एवं लाख विकास

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2008 से तेन्दू पत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि सहकारी समितियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय-विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन एवं लाख पालन हेतु उपलब्ध करायी जावेगी।

(vii) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण

शासन की स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2019-20 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं को क्रय कर वितरण की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार किया जावेगा। इस योजना पर रूपये 25 करोड़ व्यय का अनुमान है।

(viii) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त राशि रू. 2.32 करोड़ से जिला यूनियन राजनांदगांव (मानपुर), बलरामपुर (रामानुजगंज), पश्चिम भानुप्रतापुर (पखांजुर), बीजापुर (बीजापुर) एवं सुकमा (दोरनापाल) में गोदाम निर्माण एवं समिति प्रबंधक, शहद संग्राहकों को प्रशिक्षण का कार्य कराया गया।

(ix) लाख विकास योजना

अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने लाख विकास योजना मद (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित राशि रू. 4.03 करोड़ से लाख विकास संबंधी कार्य कराये जावेंगे।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत स्वीकृत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस के तहत वर्ष 2019-20 में परियोजना की शेष राशि रू. 3.74 करोड़ से अवशेष कार्य संपादित किया जाना है।

(x) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

वर्ष 2018-19 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 200 से 500 हेक्टेयर तक के 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा साथ ही विगत वर्षो के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रू. 350.00 लाख (प्रस्तावित) एवं संघ मद से रू. 741.85 लाख का प्रावधान लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए रखा गया है।

विषय क्रमांक - 4

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट की स्वीकृति।

वर्ष 2019-20 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित हैः-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2019	16.717	लाख मानक बोरा	3300.00 प्रति मानक बोरा	55,166.10
योग						55,166.10

(ब) लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय-

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	119.21
2.	लाख विकास योजना	403.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	350.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1,600.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	1,565.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8,000.00
8.	संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से "छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना"	524.00
	योग	**12,935.21**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रूपये लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 30.06.18 तक का वास्तविक व्यय	
1.	वेतन एवं भत्ते	400.00	433.01	450.00	146.64	550.00
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	25.00	19.98	30.00	5.55	30.00
3.	यात्रा भत्ता	50.00	38.73	20.00	15.27	50.00
4.	अन्य भत्ते	15.00	13.25	20.00	3.51	20.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	50.00	55.87	70.00	14.56	75.00
6.	पेंशन अंशदान	40.00	37.88	50.00	9.57	50.00
7.	ग्रेज्युटी (उपादान)	50.00	43.67	50.00	0.00	70.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	60.00	21.96	60.00	0.00	60.00
9.	कर्मचारी बोनस	8.00	7.49	20.00	0.00	20.00
10.	स्टेशनरी आदि क्रय	15.00	2.57	15.00	0.37	15.00
11.	किताब पत्रिका क्रय	35.00	0.51	10.00	0.03	15.00
12.	फोटोकापी एवं छपाई व्यय	15.00	2.32	15.00	0.58	15.00
13.	पोस्टेज	2.00	0.10	2.00	0.08	2.00
14.	टेलीफोन	5.00	3.67	5.00	1.02	6.00
15.	भवन किराया	15.00	13.13	20.00	4.19	20.00
16.	बिजली एवं पानी व्यय	10.00	5.22	10.00	1.33	10.00
17.	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	50.00	9.78	50.00	0.72	30.00
18.	प्रचार-प्रसार	35.00	18.31	35.00	0.00	35.00
19.	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	30.00	2.43	15.00	0.23	20.00
20.	वाहन मरम्मत व्यय	15.00	6.86	15.00	0.68	15.00
21.	वाहन ईन्धन व्यय	15.00	9.65	15.00	3.21	15.00
22.	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय	10.00	1.53	10.00	0.50	10.00
23.	प्रशिक्षण	30.00	0.54	20.00	0.00	15.00
24.	फर्नीचर मरम्मत	20.00	0.10	20.00	0.02	20.00
25.	विविध व्यय	10.00	9.66	10.00	1.48	10.00
26.	अंकेक्षण शुल्क	83.00	80.45	10.00	1.49	15.00
27.	न्यायालयीन / विधिक व्यय	10.00	2.27	10.00	35.90	20.00
28.	घसारा (डिप्रिशियेसन)	200.00	175.30	200.00	0.00	200.00
29.	विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव	7.00	2.79	7.00	0.00	7.00
30.	कम्प्यूटर / प्रिंटर / अन्य उपकरण मरम्मत	7.00	3.71	7.00	0.71	7.00
31.	उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार	18.00	4.33	18.00	0.00	18.00
32.	सम्मेलन व्यय	200.00	147.02	200.00	0.00	200.00
	योग	**1,535.00**	**1,174.69**	**1,489.00**	**247.64**	**1,645.00**

वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते मद में स्वीकृत बजट रूपये 400.00 लाख के विरुद्ध रूपये 433.01 लाख एवं ई.पी.एफ. अंशदान मद में स्वीकृत बजट रूपये 50.00 लाख के विरुद्ध रूपये 55.87 लाख व्यय हुआ जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्तावित है।

(द) पूंजीगत व्यय (रूपये लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 30.06.18 तक का वास्तविक व्यय	
1.	भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)	3500.00	1095.00	2500.00	0.00	2500.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3.	अंशपूंजी क्रय	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4.	वाहन क्रय	100.00	26.91	100.00	0.00	100.00
5.	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय	200.00	14.73	200.00	0.00	200.00
6.	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटलाइजेशन)	75.00	80.12	80.00	0.24	80.00
7.	कार्यालयीन उपकरण क्रय	50.00	15.11	50.00	0.04	50.00
योग		**4525.00**	**1231.87**	**3530.00**	**0.28**	**3530.00**

वर्ष 2017-18 में कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटलाइजेशन) मद में स्वीकृत बजट रूपये 75.00 लाख के विरुद्ध रूपये 80.12 लाख व्यय हुआ जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्तावित है।

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2019-20 में वनोपज की बिक्री से रू. 1,00,302.00 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	1,00,302.00
	योग	1,00,302.00

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	**तेन्दू पत्ता** वर्ष 2019 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि	90,271.80
2.	वर्ष 2020 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.717 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	10,003.20
	योग	1,00,302.00

(ब) विविध आय

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	5,000.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	720.00
	योग	**5,720.00**

(स) लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि

अ. क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	119.21
2.	लाख विकास योजना	403.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	350.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1,600.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	1,565.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8,000.00
8.	संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से ''छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना''	524.00
	योग	**12,935.21**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	1,00,302.00
2.	विविध आय	5,720.00
3.	लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	12,935.21
	महा योग	**1,18,957.21**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	55,166.10
2.	कार्यालयीन व्यय	1,645.00
3.	पूंजीगत व्यय	3,530.00
4.	लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	12,935.21
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	00.00
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	44,960.90
	महा योग	**1,18,237.21**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय कुल व्यय संघ का शुद्ध लाभ	1,18,957.21 1,18,237.21 720.00

अनुपूरक बजट मद का प्रस्ताव वर्ष 2018-19

1. **मद का नाम- यात्रा भत्ता-** यात्रा भत्ता मद में वर्ष 2018-19 हेतु राशि रूपये 20.00 लाख प्रावधानित है जो कि संघ मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रवास हेतु स्वीकृत की गई थी। माह नवम्बर-2016 में लघु वनोपज संघ रायपुर के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप इस मद में वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने की संभावना है। गत वर्ष 2017-18 के अनुमोदिन बजट राशि रूपये 50.00 लाख के विरूद्ध रूपये 38.73 लाख व्यय हुआ। अतः वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 50.00 लाख बजट का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. **मद का नाम - वेतन भत्ते** - वर्ष 2018-19 में इस मद में राशि रूपये 450.00 लाख प्रावधानित है। माह अप्रैल 2018 से जून 2018 तक उक्त मद में राशि रूपये 146.64 लाख का वास्तविक व्यय हुआ है। संघ कर्मचारियो को इस वर्ष साँतवा वेतनमान लागू होने की सम्भावना है। अतः प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राशि रूपये 75.00 लाख अधिक व्यय होने की सम्भावना है। इस मद में कुल राशि रूपये 525.00 लाख का बजट आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

3. **मद का नाम - न्यायालयीन / विविध व्यय** - वर्ष 2018-19 में इस मद में रूपये 10.00 लाख प्रावधानित है। माह अप्रैल 2018 से जून 2018 तक उक्त मद में राशि रूपये 35.90 लाख का वास्तविक व्यय हुआ है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर में संघ का प्रकरण क्रमांक W.P.(PIL) 21/2018 Shri Sant Kumar Netam Vs State of Chhattisgarh & Others एवं W.P.(PIL) 28/2018 Shri Amarnath Agrawal Vs State of Chhattisgarh & Others में राशि रूपये 35.90 लाख व्यय हुआ है। अतः प्रावधानित राशि रूपये 40.00 लाख अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है। इस मद में कुल राशि रूपये 50.00 लाख का बजट आबंटन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 5

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक / लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मण्डल के अवलोकन उपरांत आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-18

TENDU LEAVES

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		9,41,64,073.99	**By Sales**		10,79,84,70,357.04
Tendu Patta			*Tendu Patta*		
To Purchase		3,33,60,94,125.48			
Tendu Patta (Collection)			**By Direct Incomes**		11,55,92,685.81
To Direct Expenses		68,27,60,226.55	*Interest & Other Income*	2,15,22,535.50	
Rebate on Tendupatta Sale	2,08,98,380.33		*Mis. Income Through D.U.*	9,40,70,150.31	
Godown Insurance Premium	3,40,832.10				
PM Jeewan Jyoti Bima Yogana	3,12,38,109.00		**By Closing Stock**		2,22,59,00,084.95
M.F.P Insurance Premium	1,98,779.00		*Tendu Patta*		
MFP Pluckers Insurance Janshree Fed	2,46,90,172.00				
T.P.Collector's Group Insurance	3,73,50,455.00				
Establishment Expenses of Primary Societies	22,36,07,228.40				
Establishment & Adminst. Exp of D.U.	34,37,63,178.97				
Society Manager's Group Insurance	6,73,091.75				
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendu Patta		6,15,61,757.00			
To Surplus		8,96,53,82,944.78			
TOTAL		13,13,99,63,127.80	TOTAL		13,13,99,63,127.80

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		75,08,576.85			
Sal Seed					
To Purchase			**By Closing Stock**		75,08,576.85
Sal Seed Collection (Purchase)			*SalSeed*		
			By Loss		0.00
TOTAL		75,08,576.85	**TOTAL**		75,08,576.85

47

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		29,45,414.94	**By Sales**		
Harra			*Harra Sale*		
To Purchase			**By Closing Stock**		29,45,414.94
Harra Collection (Purchase)			*Harra*		
To Direct Expenses					
Rebate on Harra Sale			**By Loss**		0.00
TOTAL		29,45,414.94	**TOTAL**		29,45,414.94

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		4,92,410.10	**By Sales**		55,897.00
Gum			*Gum Sale*		
To Purchase		1,02,684.00			
Gum Collection (Purchase)					
			By Closing Stock		4,92,410.10
To Direct Expenses			*Gum*		
Rebate on Gum Sale			**By Loss**		46,787.00
TOTAL		5,95,094.10	**TOTAL**		5,95,094.10

GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Sal Seed Loss	0.00	**Tendu Patta Surplus**	8,96,53,82,944.78
Gum Loss	46,787.00		
Harra Loss	0.00		
To Gross Surplus	8,96,53,36,157.78		
TOTAL	8,96,53,82,944.78	**TOTAL**	8,96,53,82,944.78

(ARCHANA DHANGAR)	(D.K SHRIVASTAVA)	(C.L THAKUR)	(KAUSHLENDRA KUMAR)	(MUDIT KUMAR SINGH)	(CA [illegible] GUPTA)
SUPERINTENDENT	ASST. ACCOUNT OFFICER	MANAGER (FIN/ACCTS)	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

MUKUNDA SHIVA & ASSOCIATES
F-7 Hira Arcade
New Bus Stand
Pandri Raipur

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-18

Revised

PARTICULARS		AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES		6,57,90,527.22
House Office Rent to Owner	13,12,719.00	
Salary Account	4,33,01,351.00	
Bonus to Staff	7,48,663.00	
Children Education Allowance	27,000.00	
Conveyance Exps.	66,553.00	
Excellence Award Exp	4,33,000.00	
Group Gratuity Expenses A/c	4,30,820.94	
Group Leave Encashment Premium & Others A/c	2,32,255.28	
Seminar Exp	1,01,976.00	
E.P.F. Adminstrative Charges	9,05,644.00	
Medical Expenses	19,98,092.00	
Travelling Expenses	38,06,370.00	
Orderly Expenses	13,25,252.00	
E.P.F (Contribution)	55,86,764.00	
Pension Contribution	37,87,663.00	
Vehicle Expenses	16,55,840.00	
Vehicle Insurance Charge	58,894.00	
Verdi (Dress) Expenses	11,700.00	
TO INDIRECT EXPENSES		93,02,056.00
Expenses Related to Charan Paduka	38,94,810.00	
Interest Paid to Other	13,929.00	
Lease / Rent Exp. on Federation Building	39,84,588.00	
Consumable Store	2,06,142.00	
Penalty / Fine	1,24,590.00	
Federation House / Building Maintenance	10,97,997.00	
TO MANAGERIAL EXPENSES		65,02,141.31
Training	54,072.00	
AGM & BOD Meeting Expense	1,70,043.00	
Computer/printer/ Other Ins. Reparing	81,021.00	

PARTICULARS		AMOUNT
BY GROSS SURPLUS B/F		8,96,53,36,157.78
BY INDIRECT INCOMES		69,66,84,731.66
Godown Rent Received	19,63,620.00	
Interest Earned on Group Gratuity	34,83,931.86	
Interest Earned on Group Leave Encashment Scheme	29,98,801.03	
Vehicle Insurance Claim	61,512.00	
Interest Earned on FDR	60,34,45,941.41	
Interest Earned on FFD	3,08,62,238.00	
Interest Earned on Saving Bank	5,24,66,458.00	
Miscellaneous Income	32.00	
EMD / SD Forfeited	2,57,054.00	
Miscellaneous Received Under Information Rights	958.00	
Received From MSP Project (2% Service Charge)	10,29,225.26	
House Rent Licence Fees [Federation]	73,300.00	
Vehicle Charges Recovered	23,180.00	
Misc. Deductions	18,480.00	
BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)	6,40,45,189.00	6,40,45,189.00

PARTICULARS		AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Furniture Repairs	9,900.00			
Maintenance & Repair of Office Building	2,79,303.00			
Photocopy & Printing Exps.	2,32,311.00			
Publicity Exps.	18,30,540.00			
Telephone Charges	3,67,067.50			
Vehicle Others	88,872.00			
Stationery & Printing	2,56,559.00			
Books & Periodicals	50,924.00			
Computer Exp	2,89,963.00			
Postage & Telegram	10,441.00			
Electricity & Water Supply	5,21,875.00			
Advertisement Expenses	9,78,522.00			
Meeting Expenses	72,832.00			
Miscellaneous Expenses	9,65,607.01			
Vidhik Fees / Litigation	2,27,307.00			
Bank Charges	14,981.80			
TO DIST.UNION COMMISSION	31.00	31.00		
TO DEPERICIATION CHARGES	1,75,30,048.00	1,75,30,048.00		
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION	500.00	500.00		
TO AUDIT FEES	2,05,150.00	2,05,150.00		
TO SURPLUS TO SOCIETIES		9,56,26,90,434.81		
TO COMMISSION TO FEDERATION		1.00		
TO SURPLUS CARRY FORWARD TO FEDERATION P/L	6,40,45,189.00	6,40,45,189.00		
TOTAL		9,72,60,66,078.34	**TOTAL**	9,72,60,66,078.34

Date:- 16-07-2018

Place:- Raipur

(ARCHANA DHANGAR) SUPERINTENDENT	(D.K.SHRIVASTAVA) ASST. ACCOUNT OFFICER	(C.L THAKUR) MANAGER (FIN/ACCTS)	(KAUSHLENDRA KUMAR) EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	(MUDIT KUMAR SINGH) MANAGING DIRECTOR	(C.A ABHISHEK GUPTA) AUDITOR

F-7 Hira Arcade New Bus Stand Pandri, Raipur

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-18

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NET PROFIT TRANSFERED TO BALANCE SHEET	6,40,45,190.00	BY SURPLUS B/F FROM AGENCY P/L ACCOUNT	6,40,45,189.00
		BY Agency Commission B/F from Agency P/L Ac	1.00
TOTAL	6,40,45,190.00	TOTAL	6,40,45,190.00

(ARCHANA DHANGAR)	(D.K SHRIVASTAVA)	(C.L THAKUR)	(KAUSHLENDRA KUMAR)	(MUDIT KUMAR SINGH)	(C.A ABHISHEK GUPTA)
SUPERINTENDENT	ASST. ACCOUNT OFFICER	MANAGER (FIN/ACCTS)	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2018

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14		FIXED ASSETS		65,31,73,160.59
4,37,22,122.14	*State Government*	4,37,22,122.14		34,71,05,899.78	*Godown & Building*	37,38,74,899.78	
32,000.00	*District Union*	32,000.00		3,74,14,677.00	*Land (Naya Raipur)*	3,61,00,737.00	
10,18,64,348.40	*State Government through NCDC (Old)*	10,18,64,348.40		1,36,38,963.67	*Vehicle (Assets)*	1,63,29,567.67	
54,47,622.40	*Social Justice & Empowerment*	54,47,622.40		1,72,63,070.36	*Furniture and Dead Stock*	1,87,35,667.36	
64,38,099.20	*Tribal & Minority Welfare*	64,38,099.20		1,13,35,101.60	*Computer & Computer Parts*	1,93,46,797.60	
3,21,83,200.00	*NCDC Godowns from C.G. Govt.*	3,21,83,200.00		2,12,60,124.18	*Office Machinery*	2,27,71,985.18	
				5,60,70,910.00	*Office Building (Work In Progress)*	16,26,00,000.00	
	FUNDS & RESERVES		94,80,81,729.89	34,13,506.00	*DU Office Building/Godown (Work in Progress)*	34,13,506.00	
35,38,37,793.49	*General Reserves & Funds*	11,40,41,326.00					
6,22,31,546.72	*Reserve Funds*	16,40,18,501.65			INVESTMENT		1,75,000.00
27,98,81,133.53	*Depreciation Funds*	29,74,11,181.53		1,75,000.00	*Purchase of Share*	1,75,000.00	
1,89,69,672.85	*Inventory Loss Funds*	4,93,53,838.51					
1,76,21,802.37	*Co-operative Training &Publicity funds*	4,80,05,968.03			LIC (Group Grautity)		5,08,92,625.66
3,62,50,688.58	*Share Capital Redemption Funds*	9,70,19,019.88		2,35,78,705.68	*Group Gratuity Contribution Fund*	2,75,14,843.74	
53,51,351.41	*Co-op. Movement & Development Funds*	1,44,66,601.10		1,98,93,850.06	*Interest Accrued From Group Gratuity Fund*	2,33,77,781.92	
34,68,156.13	*Bad & Doubtful Debts Funds*	95,44,989.22					
4,50,70,384.00	*Subsidy for Godowns From NCDC*	4,50,70,384.00			LIC (Group Leave Encashment Fund)		4,42,71,800.58
3,46,51,506.26	*Building Fund*	8,63,04,587.86		2,81,98,913.67	*Group Leave E. Contribution Fund*	3,01,62,947.39	
91,72,457.55	*Vehicle Fund*	2,28,46,332.11		1,11,10,052.16	*Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund*	1,41,08,853.19	
	LOANS		96,04,417.00		LOANS & ADVANCES		17,46,07,824.49
46,42,860.00	*Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)*	46,42,860.00		26,36,021.60	*Nagrik Apurti Nigam*	26,36,021.60	
49,36,657.00	*Godown Loan From Central Govt.(MP Bhopal)*	49,36,657.00		6,88,966.00	*Advance To Staff*	4,92,208.00	
24,900.00	*Godown Loan From N.C.D.C*	24,900.00		1,14,292.00	*DFO Mis division Raipur*	13,508.00	
				1,13,188.00	*DFO Raipur*	1,13,188.00	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		91,00,23,127.43	53,225.00	*Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea*	3,941.00	
4,17,33,387.00	*41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)*	4,17,33,387.00		137.00	*CGCERT*	137.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
7,36,85,031.30	*41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing*	7,12,85,269.89		2,63,28,867.80	*Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)*	0.00	
9,22,23,919.73	*European Commission Project [10-2406-6725]*	9,14,10,936.73		1,20,00,00,000.00	*Advance to State Government*	0.00	
1,71,81,561.00	*10-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)*	36,51,427.00		3,29,14,244.42	*Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce*	9,50,17,606.42	
25,40,384.00	*41-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)*	0.00		0.00	*M.S.P Account*	16,82,384.00	
19,95,241.75	*Bastar Vikas Pradhikaran*	19,95,241.75		0.00	*51-NWFP Based Livelihood project in C.G State*	44,75,496.00	
15,76,608.00	*Surguja/Jaspur Vikas Pradhikaran*	15,76,608.00		0.00	*Charanpaduka Purchase A/c*	7,01,73,334.47	
45,55,974.70	*UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project*	45,55,974.70					
5,72,22,609.00	*41-2406 Lac Development Project 6854*	7,75,70,136.00			GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA		1,39,70,976.78
41,48,47,200.04	*Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)*	42,34,84,168.04		1,38,45,629.00	*Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)*	1,38,45,629.00	
3,83,07,938.00	*Lac Cultivation Project (SGSY)*	3,79,47,913.50		1,25,347.78	*Hassion Bardana (Bhopal)*	1,25,347.78	
3,97,671.30	*Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India*	3,97,671.30					
49,80,954.50	*NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)*	49,80,954.50			DUTIES & TAXES		86,49,22,602.76
45,005.50	*Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran*	45,005.50		6,87,452.42	*Central Sales Tax*	6,87,452.42	
1,82,10,123.00	*State Govt. Project for Processing Centre-5231*	1,82,10,123.00		76,40,458.96	*VAT Receivable (2008-09)*	76,40,458.96	
16,74,741.67	*Campa Cold Storage Buildings A/c*	17,82,914.32		53,73,44,766.26	*VAT*	55,87,15,548.09	
0.00	*Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)*	12,93,95,396.20		21,77,81,598.99	*TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE*	29,78,79,143.29	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		25,32,71,611.44				
75,34,525.79	*Provision For Unadjusted Exp PPA*	75,34,525.79		30,78,74,865.30	INTEREST RECEIVABLE	58,05,70,451.29	58,05,70,451.29
17,84,57,708.76	*Provision for People's Protected area(Federation Head)*	23,74,54,528.76					
1,24,39,067.04	*Provision for Audit Fees*	46,92,257.04		3,36,520.00	REPAYABLE RECOVERIES	3,40,314.00	3,40,314.00
28,41,742.95	*Selaced Bonus Payable*	28,41,742.95					
3,39,195.00	*Group Gratuity Payable Ac*	3,39,195.00		47,47,343.94	Service Chages Receivable from MSP Project	75,53,564.20	75,53,564.20
1,43,969.00	*Group Leave Encachment Payable A/c*	1,43,969.00					
8,80,473.90	*Bills Payable*	2,47,352.90			CLOSING STOCK		2,23,68,46,486.84
18,040.00	*G.S.L.I. Payment A/c*	18,040.00		4,92,410.10	*Gum*	4,92,410.10	
				29,45,414.94	*Harra*	29,45,414.94	
	DUTIES & TAXES		74,06,11,331.78	9,41,64,073.99	*Tendu Patta*	2,22,59,00,084.95	
4,17,72,497.14	*Forest Development Cess*	33,26,10,919.08		75,08,576.85	*Sal Seed*	75,08,576.85	
59,754.00	*Commercial Tax*	59,754.00					
3,18,840.78	*Entry Tax on Sale*	3,18,840.78			F.D.R/C.D.R./S.D.R.		13,45,76,78,934.00
80,70,283.65	*Income Tax (TCS)*	1,45,94,193.50		44,85,00,000.00	*FDR A/c (Andra Bank)*	34,95,00,000.00	
0.00	*Goods and Service Tax*	39,30,27,624.42		71,46,06,384.00	*FDR A/c (Apex Bank) (Fed. Capital)*	71,46,06,384.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	SUNDRY CREDITORS		1,43,63,27,190.71	4,95,00,000.00	*FDR A/c (Axis Bank)*	0.00	
9,068.00	*F.R.L.H.T.*	9,068.00		15,89,00,000.00	*FDR A/c (Bank of Baroda)*	0.00	
5,63,97,273.38	*Tendu Patta Purchasers*	2,03,84,571.90		60,00,00,000.00	*FDR A/c (Chhattisgarh Rajya Gramin Bank)*	0.00	
2,93,200.16	*Sal Seed Purchasers*	2,93,200.16		50,00,00,000.00	*FDR A/c (Development Credit Bank)*	0.00	
14,17,609.05	*Harra Purchasers*	14,17,609.05		1,60,00,00,000.00	*FDR A/c (HDFC Bank)*	1,30,00,00,000.00	
3,70,524.72	*Gum Purchasers*	3,70,524.72		4,95,00,000.00	*FDR A/c (Indus Ind Bank)*	1,70,00,00,000.00	
1,07,62,107.20	*Security Deposit other than M.F.P.*	89,67,590.20		1,54,95,00,000.00	*FDR A/c (OBC)*	1,50,00,00,000.00	
59,090.00	*TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.*	59,090.00		70,00,00,000.00	*FDR A/c (South Indian Bank)*	0.00	
2,40,562.00	*Tirumalla Tirupati Dev Sthanam , Tirupati*	2,40,562.00		10,75,000.00	*Flexible Fixed Deposit (B.O.B)*	0.00	
1.53	*Charanpaduka Purchase A/c*	0.00		1,69,00,00,000.00	*FDR A/c (Apex Bank)*	7,64,60,72,550.00	
21,94,134.00	*M.S.P Account*	0.00		9,90,00,000.00	*FDR A/c (Central Bank)*	9,90,00,000.00	
1,04,93,95,440.51	*District Union Advance*	1,40,45,84,974.68		61,68,00,000.00	*FDR A/c (P.N.B.)*	14,85,00,000.00	
3,71,94,097.40	*AXIS Bank (S) 910010017380589*	0.00					
					BANK ACCOUNTS		3,62,79,86,067.16
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		16,48,38,51,806.15		**CURRENT**		
5,81,80,84,992.49	*Incentive Wages to Pluckers C.G.*	10,77,06,06,326.21		2,32,25,724.93	*ICICI BANK A/c No. 016105006260*	9,45,13,059.93	
1,40,08,65,034.71	*Revolving Fund*	1,87,89,99,556.52		4,07,15,696.16	*P.N.B. A/c No. 0399005900000058 (C)*	3,73,608.17	
2,42,22,05,270.42	*Sale purchase processing of Non-nationalised MFP*	3,83,42,45,923.42		12,227.00	*State Bank of India 0753 (C)*	0.00	
				7,31,251.81	*State Bank of India 30735345823 (C)*	7,30,602.81	
	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL		73,45,05,969.87	0.83	*State Bank of India A/c No.30781054157*	0.00	
5,99,86,647.28	*M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)*	5,99,86,647.28		500.00	*Apex Bank 1149 (C)*	500.00	
41,02,60,025.99	*BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2*	41,02,60,025.99		5,16,082.00	*Bank of Baroda A/c No.05100200000482 (C)*	16,31,690.00	
26,42,59,296.60	*M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/C -3*	26,42,59,296.60		13,55,364.75	*S.B. Indore 53015395443 (C)*	13,55,364.75	
				10,097.61	*Dena Bank 018811001093 (C)*	9,674.61	
1,20,77,290.94	**SUSPENSE A/C**	1,13,59,776.94	1,13,59,776.94				
2,22,75,76,442.07	**MSP Project related Liabilities (Annexure B)**	2,49,03,52,180.82	2,49,03,52,180.82		**SAVING**		
				8,73,35,921.68	*Axis Bank 44794 (S)*	0.00	
	FEDERATION PROFIT & LOSS A/C		18.00	6,08,563.00	*Axis Bank A/c No.913010014688171*	48,48,011.00	
17.00	*A. Profit of Fed. (in Previouse year)*	17.00		71,09,698.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002094 (S)*	75,43,565.00	
	B. Profit of Current Year	6,40,45,190.00		30,21,182.34	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)*	10,99,30,777.74	
	Total	6,40,45,207.00		6,40,40,223.18	*P.N.B. 3358 (S)*	6,34,42,455.77	
	Less: Transfered to General Reserve Fund	6,40,45,189.00		18,12,655.99	*P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa)*	19,10,988.64	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
				59,70,996.33	*P.N.B. M.Br.A/c No.399000101192414 (S)*	6,48,21,740.59	
				36,28,469.20	*State Bank of India A/c No.31144628102 (S)*	1,21,30,518.70	
				30,19,018.25	*State Bank of India A/c No.32084656047*	10,77,350.75	
				17,943.00	*S.B. Indore 63011882888 (S)*	0.00	
				1,43,23,32,766.53	*P.N.B. M Br. 191933 (S)*	17,25,570.86	
				13,46,77,491.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002093 (S)*	57,04,064.00	
				0.00	*AXIS Bank (S) 910010017390589*	18,34,61,106.82	
				0.00	*Indusland Bank1459*	2,94,05,94,000.00	
				0.00	*Indusland Bank2413*	13,21,81,417.02	
				2,22,75,76,442.07	**MSP Project related Assets (Annexure B)**	2,49,03,52,180.82	2,49,03,52,180.82
					CASH/DD/CHEQUE-IN-HAND		43,34,563.00
				6,00,000.00	*DD/Cheque in Hand*	43,34,563.00	
				2.01	*Cash*	0.00	
15,86,35,00,875.98	**GRAND TOTAL**		24,20,76,76,552.17	15,86,35,00,875.98	**GRAND TOTAL**		24,20,75,76,552.17

Note :- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed seperately in Balance sheet as liability in **Annexure "A"**

3- Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998,1999,2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

4- Seperate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transfered to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transfered to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transfered to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown seperately in **Annexure "B"**

Place: Raipur
Date: 27-06-2018

(ARCHANA DHANGAR)	(D.K SHRIVASTAVA)	(C.L THAKUR)	(KAUSHLENDRA KUMAR)	(MUDIT KUMAR SINGH)	(C.A ABHISHEK GUPTA)
SUPERINTENDENT	ASST. ACCOUNT OFFICER	MANAGER (FIN/ACCTS)	EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	MANAGING DIRECTOR	AUDITOR

SRIVA & ASSOCIATES
E-7, Vallabh Arcade
Pandri, Raipur

54

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2018

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	*Grant in Aid*	22,63,000.00	85,29,42,793.11	*Advance to Distt. Union(Bhopal)*	85,29,42,793.11
14,00,000.00	*M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns*	14,00,000.00			
22,27,000.00	*NTFP Plantation (Medicinal Plants)*	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	*Godown Assistance*	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	*Subsidy for Godowns From TRIFED*	30,57,321.00			
6,00,000.00	*Subsidy for Small Godowns*	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	*Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)*	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	*Provision for Harra Trade Expenses (New)*	23,52,776.68			
39,63,288.56	*Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)*	39,63,288.56			
1,461.84	*Provision for Other Gum Trade Expenses (New)*	1,461.84			
2,024.00	*Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)*	2,024.00			
26,09,01,689.23	*Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)*	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	*Provision for Mahua Trade Expenses*	3,50,956.43			
36,84,541.50	*Provision for Harra Trade Expenses (Old)*	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	*Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)*	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	*Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)*	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	*PROFIT TO SOCITIES (REORGANISATION) (70:15:15)*	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	*ADVANCE FROM DISTT. UNION (BHOPAL)*	33,03,50,213.89			
64,000.00	*CASH IN TRANSIT*	64,000.00			
91,29,29,440.39	**GRAND TOTAL**	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	**GRAND TOTAL**	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28	**Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1**	5,99,86,647.28

(ARCHANA DHANGAR) SUPERINTENDENT	(D.K SHRIVASTAVA) ASST. ACCOUNT OFFICER	(C.L THAKUR) MANAGER (FIN/ACCTS)	(KAUSHLENDRA KUMAR) EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	(MUDIT KUMAR SINGH) MANAGING DIRECTOR	(C.A ABHISHEK GUPTA) AUDITOR

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2017-18

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	61,41,160.51	By Sales	4,35,72,990.00
To Purchase	12,28,33,990.00		
		By Interest & Other Income	32,001.00
To Direct Over Head Expenses	1,44,07,183.30	By Misc Income through DU	5,137.00
		By Closing Stock	12,42,68,693.80
To Service Charge Sal Seed	24,56,679.80		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	2,20,39,808.19		
TOTAL	16,78,78,821.80	TOTAL	16,78,78,821.80

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	4,70,78,478.05	By Sales	2,31,27,666.34
To Purchase	19,85,485.00	By Direct Incomes	68,131.00
		By Closing Stock	45,34,049.83
To Direct Expenses	6,14,911.00		
		By Loss transfered to Fund to meet loss	2,19,88,736.58
To Service Charge Harra	39,709.70		
TOTAL	4,97,18,583.75	TOTAL	4,97,18,583.75

IMLI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,98,16,388.88	By Sales	28,74,370.88
To Purchase	0.00	By Interest & Other Income	7,009.00
		By Closing Stock	1,76,90,841.80
To Direct Expenses	3,50,639.00		
To Service Charge IMLI			
To Payable to MFP Gatherers under MSP	4,05,193.80		
TOTAL	2,05,72,221.68	TOTAL	2,05,72,221.68

MAHUA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	8,55,001.09	By Sales	14,39,549.00
To Purchase	30,25,122.00		
		By Interest & Other Income	2,674.00
To Direct Expenses	1,59,104.01		
		By Closing Stock	22,76,438.67
To Service Charge Mahua Seed	60,502.44		
		By Loss transfered to Fund to meet loss	3,81,067.87
TOTAL	40,99,729.54	TOTAL	40,99,729.54

CHIRONJI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	3,85,13,019.38	By Sales	1,62,76,547.00
To Purchase	1,05,52,420.00		
		By Direct Incomes	8,19,881.00
To Direct Expenses	9,67,673.64		
		By Closing Stock	2,81,45,790.08
To Service Charge Chironji	2,11,048.40		
		By Loss Transfered to Fund to meet loss	50,01,943.34
TOTAL	5,02,44,161.42	TOTAL	5,02,44,161.42

57

KUSUMI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	6,73,35,163.20	By Sales	2,56,38,251.00
To Purchase	3,06,540.00		
		By Direct Incomes	98,343.00
To Direct Expenses	24,989.00		
		By Closing Stock	49,96,821.31
To Service Charge Kusmi Lac	6,130.80		
		By Loss Transfered to Fund to meet loss	3,69,39,407.69
TOTAL	6,76,72,823.00	TOTAL	6,76,72,823.00

RANGINI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,33,62,289.82	By Sales	61,67,421.00
To Purchase	16,07,456.00		
		By Direct Incomes	45,306.00
To Direct Expenses	60,846.00		
		By Closing Stock	17,58,447.44
To Service Charge Rangini Lac	32,149.12		
		By Loss Transfered to Fund to meet loss	70,91,566.50
TOTAL	1,50,62,740.94	TOTAL	1,50,62,740.94

M.S.P. PROJECT INDIRECT INCOME / EXPENSES STATEMENT

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
		By Interest Earned on FFD	48,47,601.00
To Rebate on Sale		By Interest Earned on FDR	11,94,87,219.20
To Auction Charges		By Bank Charges H.O.	418.75
To Bank Charges Distt Union	1,18,441.44	By Interest Earned on Saving A/c	1,385.00
To Advertisement Expenses	3,10,278.00		
To Sal Seed Insurance Premium			
To Revolving Fund of MSP	12,39,07,904.51		
TOTAL	12,43,36,623.95	TOTAL	12,43,36,623.95

Note : Expenses other then collection i.e indirect expenses are seperately shown in indirect income/expenses statement.

MUKUNDA SHIVA & ASSOCIATES
F-7 Hira Arcade
New Bus Stand
Pandri, Raipur
CHARTERED A...

(ARCHANA DHANGAR) SUPERINTENDENT	(D.K SHRIVASTAVA) ASST. ACCOUNT OFFICER	(C.L THAKUR) MANAGER (FIN/ACCTS)	(KAUSHLENDRA KUMAR) EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)	(MUDIT KUMAR SINGH) MANAGING DIRECTOR	(CA ABHISHEK GUPTA) AUDITOR

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2018

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES		AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNT
2,19,48,88,083.53	***Revolving Fund of MSP***		**2,39,68,95,988.04**	**30,64,42,229.21**	***Fund to Meet Losses***		**37,78,44,951.19**
	Opening Balance	2,19,48,88,083.53			*Opening Balance*	30,64,42,229.21	
	+Fund received	7,81,00,000.00			*+ Current Year Trading losses*	7,14,02,721.98	
	+ Net of Indirect Income/Expenses	12,39,07,904.51					
				19,31,01,500.93	***Closing Stock***		**18,36,71,082.93**
2,74,93,382.23	***Payable to MFP Gatherers Under MSP***		**4,99,38,384.22**		*Sal Seed*	12,42,68,693.80	
	Opening Balance	2,74,93,382.23			*Harra*	45,34,049.83	
	+ Current Year	2,24,45,001.99			*Mahua*	22,76,438.67	
					Imli	1,76,90,841.80	
4,45,902.68	***Duties & Taxes***		**24,40,216.23**		*Kusumi Lac*	49,96,821.31	
	Forest Development Tax	24,12,207.73			*Ranigini Lac*	17,58,447.44	
	Goods and Service Tax	28,008.50			*Chironji*	2,81,45,790.08	
47,47,343.94	***Service Charges Payable***		**75,53,564.20**	**4,18,253.35**	***Duties & Taxes***		**15,47,540.23**
					TCS	6,53,591.42	
1,729.69	***Sundry Creditors***		**3,35,24,028.13**		*Value Added Tax*	8,00,538.29	
	MFP Purchasers	1,728.00			*Entry Tax*	93,410.52	
	NCDEX	3.69					

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES		AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNT
	District Union Advance	3,18,39,912.44		8,78,64,393.95	***Loans and Advances***		16,20,49,581.08
	Receivable from Tendu Patta A/c	16,82,384.00			*Tax Deducted at Source (Bank)*	3,50,71,181.32	
					Interest Receivable	12,69,78,399.76	
				1,43,00,00,000.00	***Deposits***		1,70,00,00,000.00
					FDR A/c (Apex BANK)	90,00,00,000.00	
					FDR A/c (YES Bank)	80,00,00,000.00	
				20,97,50,064.63	***Bank Account***		6,52,39,025.39
					PNB A/c No. 000067	6,52,39,025.39	
2,22,75,76,442.07	**GRAND TOTAL**		2,49,03,52,180.82	2,22,75,76,442.07	**GRAND TOTAL**		2,49,03,52,180.82

(ARCHANA DHANGAR) SUPERINTENDENT

(D.K SHRIVASTAVA) ASST. ACCOUNT OFFICER

(C.L THAKUR) MANAGER (FIN/ACCTS)

(KAUSHLENDRA KUMAR) EXECUTIVE DIRECTOR (T&D)

(MUDIT KUMAR SINGH) MANAGING DIRECTOR

(C.A ABHISHEK GUPTA) AUDITOR

MUKUNDA SHIVA & ASSOCIATES
Hira Arcade
New Bus Stand
Pandri, Raipur
CHARTERED ACCOUNTANTS

<u>विषय क्रमांक - 6</u>

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीकृत चार्टड एकांउटेंट फर्मो से विज्ञापन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण हेतु आवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/8889 दिनांक 27.06.2018 से पत्र जारी कर दिनांक 30.06.2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 09.07.2018 को ऑफर प्राप्त किये जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त न्यूनतम दर राशि रू. 1,49,100/- पर ही मेसर्स मुकुंद शिवा एण्ड एसोसिएट्स से वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण कार्य वर्ष 2016-17 की दर पर राशि रू. 1,49,100/- में कराये जाने की आम सभा की अनुमति से अंकेक्षण कार्य कराया गया था।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/514 दिनांक 28.01.2014 से दिये गये निर्देशो की कण्डिका 8 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी संपरीक्षक / संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी को लगातार 3 वर्षो की संपरीक्षा हेतु नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण हेतु निविदा दिनांक 09.07.2018 को बुलाई गयी थी, जिसमें से निविदा के शर्तो के अनुसार न्यूनतम दर मेसर्स रामा के गुप्ता एण्ड कंपनी, रायपुर का दर रू. 1,41,000/- (वस्तु एवं सेवा कर सहित) पाया गया, जिन्हें वर्ष 2018-19 के अंकेक्षक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंकेक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही के संबंध में अवगत होने हेतु प्रस्ताव वार्षिक आम सभा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 7

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ द्वारा अर्जित आय का विभिन्न मदों में विभाजन।

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2016-17 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2016-17 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 18वीं आम सभा सितंबर 2017 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

पंजीयक सहकारी संस्थायें द्वारा जारी सूची में पंजीकृत अंकेक्षक द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 4,99,96,137.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ रूपये 4,99,96,137.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है। अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है-

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,67,48,705.90
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	99,99,227.40
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	49,99,613.70
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	14,99,884.10
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	49,99,613.70
6	भवन फंड	17%	84,99,343.29
7	वाहन फंड	4.50%	22,49,826.17
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	9,99,922.74
योग :-		**100%**	**4,99,96,137.00**

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव आम सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री मुदित कुमार सिंह आई.एफ.एस	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	डॉ. बी.पी नोन्हारे आई.एफ.एस	कार्यकारी संचालक (परियोजना एवं विपणन)	मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री कौशलेन्द्र कुमार आई.एफ.एस	कार्यकारी संचालक (व्यापार एवं विकास)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री व्ही.एस लकड़ा आई.एफ.एस	महा प्रबंधक	मुख्य वन संरक्षक
5.	श्री आर.सी दुग्गा आई.एफ.एस	उप महा प्रबंधक (उत्पादन / भण्डारण)	उप वन संरक्षक
6.	श्रीमती सावित्री भगत	सचिव	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
7.	श्री सी.एल ठाकुर	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
8.	श्री सुबीर कुमार दत्ता	उप महा प्रबंधक (प्रणाली)	उप महा प्रबंधक (प्रणाली)
9.	श्री के.के धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ आफिसर
10.	श्री डी.के श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी